रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1987 (श्रावण 3, 1909)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1987 (SRAVANA 3, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सूचना

बम्बई–400021, दिनांक 24 जुलाई 1987

सं० सी० ओ० / बी० ओ० डी० / पी० एण्ड एल : 27527—इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य रजिस्टर था शाखा रजिस्टर गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 1987 से गुरुवार दिनांक 10 सितम्बर 1987 तक (दोनों दिन सम्मिलित, शेयरों के अन्तरण के लिए बन्द रहेंगे ।

डी० एन० घोष
अध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय,

बम्बई, दिनांक 2 जुलाई 1987

सं० ए० डी० एम/28843—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री के० वेंकटेश्वर राव, अधिकारी, शीर्ष कार्यपालक श्रेणी–6 ने दिनांक 1 जुलाई 1987 से उप महाप्रबन्धक (अन्तर–कार्यालय लेखा), केन्द्रीय कार्यालय, का कार्यभार संभाल लिया है ।

सी० आर० विजयराघवन
मुख्य महाप्रबन्धक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई–400 005, दिनांक 18 मई 1987

सं० 3–डब्ल्यू० सी० ए (5)/3/87–88—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/86–87, दिनांक 25–2–87 के संदर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड लेखाकार

संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	4174	श्री बी० एम० शाह, एफ०सी०ए०, एन–305, नविन आशा, 126/डी, फलके रोड, दादर, बम्बई–400 014	4–5–87
2.	34394	श्रीमती ज्योत्सना एन० शाह, ए०सी०ए०, 1930, एन० वरमोन्ट 301, लोज् अंगलज, सीए–90027 ।	4–5–87
3.	36171	श्री मुकेश के० पारेख, एसीए, 7/2438, चौकी स्ट्रीट सय्यदपूरा सूरत–395003	1–8–86
4.	38129	श्री गौरंग एम० चोक्सी, ए०सी०ए, 33/आय, हारीपार्क सोसायटी, अपो० अंकूर बस स्टैण्ड, नारानपूरा अहमदाबाद ।	1–5–87

दिनांक 1 जून 1987

सं० 3– डब्ल्यू० सी० ए० (5)/4/8788—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)/9/85–86 दिनांक 31–3–86, 3 एस० सी० ए० (4)/10/86–87 दिनांक 27–2–87, 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/86–87 के संदर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	6670	श्री मिगडोन विक्टोर अलमेडी, ए०सी०ए०, गंग्रिला अपार्टमेंटस, फ्लैट सं० 1/402, 23, बंड गार्डन रोड, पुणे–401001 ।	9–2–87
2.	22356	श्री के० श्रीपथी उराला, ए० सी० ए०, 903, 9वां माला, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई–400023 ।	1–8–86
3.	38234	श्री राजेश रमेशचन्द्र शाह, ए०सी०ए०, फर्स्ट पारसीवाडा लेन, 37/38, जूनी हिरा बिल्डिंग 2 रे माळेपे, सी० पी० टैंक, बम्बई–400004 ।	27–5–87
4.	34657	श्री अरुण पद्माकर अभ्यंकर, ए०सी०ए०, 1206/बी/13, शिवाजी नगर, पुणे–411 004 ।	19–5–87
5.	70696	श्री कुबेर दत्त शर्मा, ए०सी०ए० 1, कस्तूरबा नगर, अपो० यूनियन बैंक, सामा, बरोडा ।	15–5–87
6.	30948	श्री रामचन्द्र महेश अय्यर, ए० सी० ए०, "प्रसाद" 1491, बी० मेन रोड, साउथ एण्ड, ब्लाक–9 जयानगर, बंगलौर–560069 ।	13–4–87

दिनांक 25 जून 1987

सं० 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/5/87–88—चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, चार्टरड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गयी तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	3531	श्री ह्वी० एम० देसाई, मेसर्स, देसाई एण्ड देसाई, चार्टरड अकाउन्टेन्ट्स 4था माला, 31, न्यू मरीन लाईन्स, बम्बई–400020 ।	15–3–87

1	2	3	4
2	6194	श्री एम० एम० दोषी, मेसर्स एम० एम० दोषी एण्ड कं०, चार्टरड अकाउन्टेंट्स 207, सुजाता चैम्बर्स, 1-3, मिर्ची स्ट्रीट, लठा बाजार, बम्बई-400009 ।	9-5-87
3.	17930	श्री एम० एम० अजगांवकर, 15; सरोज को० ऑप० हौ० सोसायटी, प्लाट सं० 70, तरुण भारत सोसायटी, चकाला, अंधेरी (पूरब) बम्बई-400 099	30-05-86

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 30 जून 1987

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (5)/3/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-ई० सी० ए०/4/10/86-87 दिनांक 27-2-87, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्य का नाम पुनः उसके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	51112	श्री शिव कुमार चिरानिया, एफ० सी० ए०, 3ए, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता-700 007 ।	13-4-87

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 9 जून 1987

सं० 3-सी० सी० ए० (5)(4)/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-सी० सी० ए० (4)/(9) 86-87 दिनांक 5-3-87, 3सी० सी० ए० (4)/(10)-86-87 दिनांक 19-3-87 के संदर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्र० सं०	सदस्य सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	36527	श्री पुरषोत्तम महेश्वरी, ए० सी० ए० के/आफ श्री लक्ष्मीलाल अजमेरा 29/44, गांधी नगर भीलवाड़ा-311001 ।	6-4-87
2.	72244	श्री बाल कृष्ण महाजन, ए० सी० ए० जी-47, एम० आई० जी० कालोनी, इन्दौर-452008 ।	4-5-87

दिनांक 25 जून 1987

सं० 3-सी० सी० ए० (5)/(3)/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-सी० सी० ए० (4)/(6)/86-87, दिनांक 28-1-87 के संदर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नमा एवं पता	दिनांक
1.	17033	श्री मुरारी लाल सुरेखा, एफ० सी० ए०, के/ऑफ श्री राम सिल्क मिल्स, 113-114, गुडलक टैक्सटाइल्स मार्केट रिंग रोड, सूरत ।	29-4-87

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

भारतीय कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स इंस्टीच्यूट

कलकत्ता-700 016, दिनांक 25 जून 1987

(कॉस्ट एकाउन्टेन्ट्स)

39-सी० डब्ल्यू० ए० (56)/87—कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1959 (1959 के एक्ट सं० 23) की धारा

39 के उपधारा (II) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स के परिषद कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त धारा के उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व ही अनुमोदित एवं प्रकाशित की जा चुकी है ।

1. यह विनियम कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विनियम 1987 कहा जाएगा ।

2. कास्ट एवं वर्क्स एकाउन्टेण्टस विनियम 1959, विनियम 12 में उप विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा, जैसे : "(3ए.) केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार की ओर से शिकायतकर्ता के अलावे प्रत्येक शिकायतकर्ता रु० 50/- की राशि सहित जमा करेंगे, जो जब्त कर लिया जाएगा, यदि शिकायत पर विचार करने के बाद परिषद यह निष्कर्ष पर आती है कि प्रत्यक्षतः मामला नहीं बनता है, और शिकायत या तो तर्कहीन है अथवा दुर्भावना की दृष्टि से किया गया है ।

डी० सी० भट्टाचार्या
सेक्रेटरी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1987

सं० यू-16/53/86-चि० 2 (कर्नाटक)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23 मई 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा मैसूर के डा० बी० के० जयराज को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1 जुलाई 1987 से 30 जून 1988 या किसी पूर्ण-कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य-भार ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो, मैसूर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

डा० वेद प्रकाश
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय उपचर्या परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1987

सं० 11-1/76-आई० एन० सी०—यतः भारतीय उपचर्या परिषद ने भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अनसरण में (जिसे एतद् पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) 5 अप्रैल, 1980 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की है कि राजकुमारी अमृतकौर कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली की निम्नलिखित कालम (1) में विनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त अर्हताओं का नाम शैक्षणिक सत्र, 1980 से बदलकर निम्नलिखित कालम (2) में विनिर्दिष्ट नाम रखा जाय :—

(1)	(2)
उपचर्या प्रशासन में डिप्लोमा नर्सिंग टियूटरस डिप्लोमा मिडवाइफरी टियूटरस डिप्लोमा	नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 1 के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत की गई उपयुक्त घोषणा को जनसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

सं० 11-4/76-आई० एन० सी०—यतः भारतीय उपचर्या परिषद ने भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 10 के अनुसारण में) जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (27 मार्च, 1985 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य, कलकत्ता की निम्नलिखित कालम (1) में विनिर्दिष्ट, मान्यताप्राप्त अर्हताओं का नाम, 15 सितम्बर, 1975 से बदलकर निम्नलिखित कालम (2) में विनिर्दिष्ट नाम रखा जाए :—

(1)	(2)
जन स्वास्थ्य उपचर्या प्रमाण-पत्र	जन स्वास्थ्य उपचर्या में डिप्लोमा

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा-1 के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत की गई उपर्युक्त घोषणा को जन साधारण सूचनार्थ भारत के राजपत्र में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

स० क० करकरा
सचिव

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 जुलाई 1987

सं० रा० स० वि० नि०-1-3/82-प्रशा०-राष्ट्रीय-सहकारी विकास निगम सेवा विनियम, 1967 के विनियम 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम के प्रबन्ध मण्डल ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से रा० स० वि० नि०

यात्रा तथा दैनिक भत्ता विनियमों में निम्नानुसार संशोधन किया है :—

(i) विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

सड़क द्वारा : सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए, कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर सड़क मील-भत्ते के लिए पात्र होंगे :—

क और ख श्रेणी के कर्मचारी — सार्वजनिक बस के अनुसार वास्तविक किराया अथवा अपनी मोटर/पूरी टैक्सी तथा अपने स्कूटर/अपनी मोटर साइकिल/आटो रिक्शा द्वारा की गई यात्रा के लिए टैक्सी तथा आटो रिक्शा के लिए सम्बन्धित परिवहन निदेशालय द्वारा अधिसूचित दरें ।

ग और घ श्रेणी के कर्मचारी — सार्वजनिक बस के अनुसार वास्तविक किराया अथवा अपने स्कूटर/अपनी मोटर साईकिल/आटो रिक्शा द्वारा की गयी यात्रा के लिए आटो रिक्शा के लिए सम्बन्धित परिवहन निदेशालय द्वारा अधिसूचित दरें। बशर्ते कि यदि यात्रा टैक्सी में एक सीट लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिल कर उसका किराया भाड़ा देकर अथवा डीलक्स/वातानुकूलित बस द्वारा की गई हो, तो उसके लिए सड़क मील-भत्ता दिए गए वास्तविक किराए की दर से दिया जाएगा जो सड़क की दूरी के लिए पात्रता श्रेणी के अनुसार रेल के किराए तक सीमित होगा ।

(ii) विनियम 5.4 के उपबन्ध के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

मुख्यालय तथा शहर से बाहर, यथास्थिति, दोनों ओर दौरे पर जाते/दौरे से लौटते समय आवास-स्थान से हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनस तक तथा हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनस से आवास-स्थान तक की यात्रा के मामले में कर्मचारी, इसके अतिरिक्त, टैक्सी, स्कूटर, रिक्शा/सार्वजनिक परिवहन के लिए उसके द्वारा दिए गए वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा/होगी ।

जहां कर्मचारी ऐसी यात्रा के लिए अपनी मोटर का प्रयोग करता/करती है वह मील-भत्ते के लिए पात्र होगा/होगी जो, सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित टैक्सियों के लिए अनुमोदित दर पर, आगमन तथा प्रस्थान के समय दोनों ओर के लिए, केवल एक-एक यात्रा (ट्रिप) तक सीमित होगा ।

नोट : पूरी टैक्सी/आटो रिक्शा भाड़े में अतिरिक्त प्रभार (सरचार्ज) तथा रात्रि प्रभार यदि कोई हो तो, शामिल हैं ।

ये संशोधन भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

सोमनाथ सोम
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता नियम
नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1987

अध्याय–I

1. (क) इन नियमों का नाम भारतीय विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता नियम, 1983 है ।

(ख) ये नियम पूर्णतः या भागतः, जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद विनिश्चित करे और उस अधिसूचना के अनुसार जो भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार की जाए और भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और ऐसी तारीख या तारीखों में जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए या जाएं, प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ।

(ख) "अधिवक्ता" से वह अधिवक्ता अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी राज्य विधिज्ञ परिषद ने उस रूप में नामांकित किया है और उसका नाम किसी राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में दर्ज है ।

(ग) "सहायता प्राप्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको विधिक सहायता या सलाह मंजूर की गई है और जो विधिक सहायता या सलाह प्राप्त कर रहा है या जिसने विधिक सहायता या सलाह प्राप्त की है ।

(घ) "परिषद" से भारतीय विधिक परिषद अभिप्रेत है ।

(ङ) "न्यायालय" के अन्तर्गत वे सभी न्यायालय और अधिकरण तथा अन्य फोरम हैं जिनके समक्ष विधि-व्यवसायी हाजिर होने, कार्य करने और अभिवचन करने के लिए हकदार हैं ।

(ण) "राज्य विधिज्ञ परिषद्" से अधिनियम के अधीन गठित राज्य विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है ।

(छ) "विधिक सहायता" में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया गया अभ्यावेदन और ऐसी सभी सहायता अभिप्रेत है जो प्रायिकतः उसके द्वारा दी जाती है ।

(ज) "विधिक सलाह" के अन्तर्गत किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें न्यायिक विनिश्चय की अपेक्षा हो, किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता, अधिकार, हक और हित पर मौखिक या लिखित सलाह भी है ।

(झ) "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष की पहली अप्रैल से अगले उत्तरवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।

(ञ) "विधिक सहायता के लिए हकदार व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के किसी भी न्यायालय में किसी मामले के अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए या अभियोजन या प्रतिरक्षा जारी रखने के लिए विहित प्ररूप और रीति में, विधिक सहायता के लिए आवेदन करता है और जिसके वित्तीय साधन और स्थिति, विधिक सहायता समिति या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी उप समिति की राय में उक्त प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विधिक सलाह प्राप्त करने का हकदार है ।

(ट) "विहित वर्ष" से किसी वर्ष की 1 अप्रैल से अगले उत्तरवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है ।

(ठ) "नियम" से भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता नियम अभिप्रेत है ।

अध्याय II

3. भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता समिति का गठन और उसके कृत्य

(क) परिषद् अपने सदस्यों में से एक विधिक सहायता समिति का गठन करेगी जिसमें 9 सदस्य होंगे ।

(ख) परिषद् का अध्यक्ष विधिक सहायता समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(ग) विधिक सहायता समिति के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनेंगे और भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सचिव, समिति का सचिव होगा ।

(घ) विधिक सहायता समिति की कालावधि ऐसी समिति की पहली बैठक की तारीख से दो वर्ष की होगी । उनमें से 5 सदस्यों का कोरम बनेगा । पूर्वोक्त समिति के सदस्य पश्चात्वर्ती समिति की पहली बैठक के होने तक पद धारण किए रहेंगे ।

(ङ) समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा और सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी । किसी प्रश्न पर बराबर मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य को अतिरिक्त रूप से निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

(च) विधिक सहायता समिति, उसके निकाय में किसी रिक्त स्थान के होते हुए भी और उसके किसी सदस्य के निर्वाचन या बने रहने में कोई त्रुटि होते हुए भी, कार्य करेगी और समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि निकाय में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं या उसके सदस्यों के निर्वाचन या बने रहने में कोई त्रुटि है ।

4. कृत्य :

विधिक सहायता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) इन नियमों के अधीन पात्र व्यक्ति को दी जाने वाली विधिक सहायता और सलाह के कार्यान्वयन के लिए नीतियां बनाना और यह देखना कि बनाई गई या विहित की गई नीतियां राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समितियों द्वारा समुचित रूप से कार्यान्वित की जाती है तथा इन निकायों पर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना ।

(ख) समय-समय पर वकीलों के लिए विधिक सहायता कार्यशाला आयोजित करना और वकील, परा विधिक कार्यकर्त्ताओं तथा विधि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना ।

(ग) समुदाय के निर्धनतम वर्गों में विधिक चेतना का प्रसार करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न स्थानीय भाषाओं में विधिक सहायता संबंधी साहित्य तैयार करना और उसे गन्दी बस्तियों, ग्रामों और अन्य उचित स्थानों में लोगों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।

(घ) सरकार के हाथों या व्यक्तियों द्वारा आक्रमण के सभी मामलों में उनकी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से संरक्षा के लिए व्यवस्था करना ।

(ङ) बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले लोक हित मुकदमों की बाबत अभियोजन और/या प्रतिरक्षा की व्यवस्था करना ।

(च) बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने और उनकी सहायता करने के लिए समुचित विधिक और/या अन्य कारगर उपाय करना ।

(छ) महिलाओं पर किए गए आक्रमणों या किए गए अन्याय के सभी मामलों में विधिक और सामाजिक

दोनों मंचों से अभियोजन या प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करना ।

(ज) निर्धन व्यक्तियों के वर्गों के लिए विधिक सहायता को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना और यह देखना कि वे उन्हें उचित समय पर उपलब्ध हो जाएं जिससे कि विधिक सहायता कार्यक्रम की बाबत उनको विश्वास हो जाए ।

5. बैठकें

विधिक सहायता समिति की सभी बैठकें, सचिव द्वारा कम से कम दस पूरे दिन की सूचना देकर बुलाई जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर, समिति के अध्यक्ष के निदेशानुसार, आवश्यकता के अनुरूप कम अवधि की सूचना पर आपात बैठक आयोजित की जा सकेगी ।

6. सचिव के कार्य

समिति का सचिव, समिति के अध्यक्ष के निदेशानुसार समिति की सभी बैठकें आयोजित करेगा और समिति के विनिश्चयों को अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्यान्वित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा ।

अध्याय 3

7. निधि

भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता समिति की निधियां निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) परिषद् द्वारा अपने बजट में से प्रतिवर्ष दी गई और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6(2)(ख) के निबंधनानुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा उपबंधित विधिक सहायता निधि में जमा की गई निधियां । यह निधि "भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता निधि" नामक निधि में जमा की जाएगी ।

(ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् न्यास द्वारा अपने बजट में से प्रति वर्ष दी गई और विधिक सहायता निधि में जमा की गई निधियां ।

(ग) अनुदान जिसकी व्यवस्था भारत सरकार और/या केन्द्रीय सरकार की विधिक सहायता सकीम कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(घ) अनुदान जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा और राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भी, दिया जा सकेगा ।

(ङ) निगमों, निकायों, व्यक्तियों, पूर्त संस्थाओं, बार एसोसिएशनों और अन्य निकायों से विधिक सहायता के प्रयोजन के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता, अनुदान, संदान, दान या फायदे ।

(च) किसी भी अन्य स्रोत से आवेदनों पर या विधिक सहायता प्राप्त मामलों के संबंध में फीस, खर्च, डिक्री संबंधी शोध्य रकम या अन्यथा के रूप में विधिक सहायता समिति को प्राप्त रकमें ।

(छ) विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से या उनकी ओर से या उनके विपक्षियों से या न्यायालय से किसी डिक्री या आदेश या करार या अन्यथा के कारण वसूल की गई सभी धनराशियां ।

(ज) निवेशों से, यदि कोई हों, ब्याज के रूप में प्राप्त कोई रकम ।

अध्याय 4

विधिक सहायता और प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति

8. (क) विधिक सहायता किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो राज्य विधिज्ञ परिषद् की अधिकारिता के भीतर किसी जंगम या स्थावर संपत्ति पर कोई दावा या प्रभार या अधिकार प्राप्त करने, उससे वंचित करने या विवादग्रस्त करने के प्रयोजन के लिए या कोई वाद, विधिक कार्यवाही, सिविल या दांडिक अधिकारों उनसे या ऐसे मामलों में किसी अंतवर्ती आदेशों से उत्पन्न किसी अपील या पुनरीक्षण को संस्थित करने या प्रतिवाद करने के प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप और रीति में विधिक सहायता के लिए आवेदन करता है और जिसके वित्तीय साधन और स्थिति, विधिक सहायता समिति या उसकी उप समिति की राय में, मुकदमा के खर्च या उसके भाग की पूर्ति करने या यथास्थिति किसी अधिवक्ता, सालिसिटर, प्लीडर या विधि व्यवसायी को नियोजित करने के खर्च की पूर्ति करने, वहन करने या संदाय करने के लिए पूर्णतः अपर्याप्त है । उसे अपने आवेदन पत्र में यह अवश्य कथन करना चाहिए कि उसने किसी अन्य विधिक सहायता समिति या किसी अन्य प्राधिकारी को उसी वाद हेतुक की बाबत विधिक सहायता के लिए न तो आवेदन किया है और न ही उनसे विधिक सहायता प्राप्त की है । वह अपने आवेदन पत्र में यह कथन भी करेगा कि उसने इसके पहले भी आवेदन किया था या नहीं और किसी ऐसी समिति या प्राधिकारी ने ऐसे आवेदन को नामंजूर कर दिया था या नहीं ।

(ख) विधिक सहायता के लिए किसी आवेदन को उस दशा में नामंजूर किया जा सकेगा यदि आवेदक या उसका पति या उसकी पत्नी या बच्चों की लगभग वार्षिक आय 6000 रु० प्रति वर्ष से अधिक है और यदि विधिक सहायता समिति या उसकी उप समिति यह उचित समझती है कि संबंधित आवेदक विधिक सहायता के बिना कार्यवाही करने में समर्थ है और यदि ऐसी समिति या उप समिति को यह लगता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह मामला विधिक सहायता के लिए योग्य और उचित मामला नहीं है या उसकी राय में उसे विधिक सहायता देना अयुक्तियुक्त है ।

(ग) किसी आवेदक को तब तक विधिक सहायता नामंजूर की जा सकती है जब तक विधिक सहायता समिति या उसकी उपयुक्त उप समिति की राय में उसका मामला प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में नहीं है और उसके पास मामला संस्थित करने, अभियोजित करने या प्रतिरक्षा करने और वाद के पक्षकार होने के कारण, सिविल या दांडिक मामलों में विधिक कार्यवाही करने, उससे उत्पन्न अपने सांविधानिक और/या मूल अधिकारों, अपील या पुनरीक्षण को सिद्ध करने या प्रतिरक्षा करने के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं है।

(घ) किसी आवेदक को उस दशा में भी विधिक सहायता नामंजूर की जा सकेगी जब तक वह इस आशय का वचनबंध नहीं दे देता कि वह ऐसी कार्यवाही के संबंध में जिसके लिए उसे विधिक सहायता दी जानी है, समय पर सभी आवश्यक और युक्तियुक्त कदम उठाएगा और यह कि मुकदमा के सफलतापूर्वक उसके पक्ष में हो जाने पर वह उसे दिए गए विधिक सहायता अनुदान की और उसके पक्ष में किए गए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति विधिक सहायता समिति को करेगा या यदि विधिक सहायता समिति, कारणों को अभिलेखबद्ध करके यह पाती है कि उसे दी गई विधिक सहायता वापस ले ली जानी चाहिए।

9. (क) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 6000 रु० से 12000 रु० तक के बीच है, अपने मामलों की बाबत उस अधिवक्ता से विधिक सलाह प्राप्त करने के हकदार होंगे जो इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए अधिवक्ताओं के पैनल में से होगा।

(ख) विधिक सलाह के लिए अपना आवेदन दाखिल करते समय वह अपनी आय के बारे में सभी विशिष्टियां और अपने मामले का ब्यौरा जिसके अंतर्गत उसके द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए लंबित मामले के ब्यौरे भी हैं, अवश्य देगा।

(ग) आवश्यक सलाह देते समय संबंधित विधिक सहायता समिति आवश्यक कागजात तैयार करने, टंकण आदि के लिए आवश्यक न्यूनतम खर्च वसूल करने की हकदार हो सकेगी।

(घ) यदि कोई आवेदक अपने मामले में किसी विशेष मुद्दे पर या विधि के प्रश्न पर लिखित राय प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसी राय, विहित फीस का संदाय करने पर ही प्राप्त करने का हक होगा।

विधिक सहायता और सलाह के लिए आवेदन

10. (क) विधिक सहायता और सलाह के लिए सभी आवेदन विहित रीति में, यथास्थिति, विधिक सहायता समिति या उप समिति या केन्द्र को किए जाएंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित रीति में विनिर्दिष्ट की जाएं। विधिक सहायता के लिए सभी कार्यवाहियां ऐसे समय के दौरान जो ऐसी समितियों द्वारा अधिसूचित किया जाए और इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रस्तुत या फाइल की जाएंगी।

(ख) विधिक सहायता या सलाह के लिए ऐसे सभी आवेदनों की संवीक्षा यथास्थिति विधिक सहायता समिति या उप समिति या केन्द्र द्वारा उसके लिए राज्य विधिक सहायता बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार की जाएगी।

(ग) बनाए गए सभी विनियम और संशोधित किए जाने के लिए आशयित किसी नियम, अनुमोदन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता समिति को भेजे जाएंगे और ऐसा अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने पर, यथास्थिति, नियम या विनियम प्रश्नगत राज्य विधिक सहायता बोर्ड द्वारा सेवित क्षेत्रों में प्रभावी हो जाएंगे।

11. जिला विधिक सहायता समिति, विधिक सहायता उपसमिति या विधिक सहायता केन्द्र 'यथास्थिति', प्रत्येक, समिति या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी उपसमिति द्वारा मंजूर किए गए व्यक्तियों को विधिक सलाह मंजूर किए गए व्यक्तियों को विधिक सलाह मंजूर करने के लिए अपेक्षित मामलों पर विचार करने के लिए कम से कम एक ब्यूरो स्थापित करेगा और यह उसका कर्त्तव्य होगा कि वह समिति के समक्ष रखे गए मामलों की बाबत मौखिक या लिखित सलाह, यथासंभव शीघ्र दे।

12. विधिक सहायता समिति, विधिक सहायता उप समिति या विधिक सहायता केन्द्र का कर्त्तव्य होगा कि वह विधिक सहायता या सलाह देने के लिए आवेदन में उपवर्णित मामलों की बाबत आवश्यक पूछताछ करे, प्राप्त सभी कागजातों की संवीक्षा करे और यथा संभव शीघ्र ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उपयुक्त सिफारिशें करे और उन्हें संबंधित जिला विधिक सलाह समिति के समक्ष विचारार्थ और मंजूरी के लिए प्रस्तुत करे। विधिक सहायता या सलाह के दिए जाने या नामंजूर किए जाने से संबंधित सभी विनिश्चयों की सूचना आवेदक को लिखित रूप में दी जाएगी और यदि सहायता या सलाह दिए जाने का प्रस्ताव है तो उक्त सूचना, समिति द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं के पैनल से चुने गए अधिवक्ता को भी दी जाएगी और सभी आवश्यक कागजपत्र तथा दस्तावेजें उक्त अधिवक्ता को आवश्यक अनुदेशों सहित अविलंब भेजी जाएंगी।

13. जिला विधिक सहायता समिति, विधिक सहायता उप समिति और विधिक सहायता केन्द्र, जहां कहीं गठित किया जाए, ऐसे समुचित रजिस्टर और उपयुक्त अभिलेख रखेगा जिनमें प्राप्त आवेदनों और उन पर किए गए आदेश दर्शित होंगे और विधिक सहायता के लिए अपेक्षित प्रत्येक मामले के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों का समुचित अभिलेख भी रखेगा। ऐसी समितियों का कर्त्तव्य होगा कि वे उन मामलों का जिनके

लिए विधिक सहायता और सलाह मंजूर की गई है, और ऐसे मामलों की प्रगति और परिणाम का, समुचित रजिस्टर रखें और राज्य विधिक सहायता बोर्ड को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

14. विधिक सहायता समिति सभी स्तरों पर, आय और व्यय का समुचित लेखा रखेगी और किए गए सभी खर्चों के समुचित वाउचर रखेगी । उनके द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें अनुसूचित बैंकों के समुचित खातों में जमा की जाएंगी और भुगतान सामान्यतः चैकों द्वारा किया जाएगा और बैंक संबंधी लेखाओं का बैंक द्वारा रखे गए बैंक लेखाओं से मिलान अवश्य होना चाहिए ।

अध्याय 7

15. कम से कम पांच वर्ष तक विधि व्यवसाय किए गए प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वर्ष में कम से कम छह मामले अपने वृत्तिका प्रभार लिए बिना करे । ऐसे अधिवक्ता को, यदि विधिक सहायता समिति मामला लड़ने के लिए कहे तो उसे ऐसे मामलों से इंकार करने का हक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण

"मामला करने" से अभिप्रेत है (1) निषेधाज्ञा आवेदन का प्रारूपण, फाइल करना और सुनवाई कराना, (2) वादपत्र का प्रारूपण, फाइल करना और रजिस्टर कराना, (3) लिखित कथन का प्रारूपण और फाइल करना, (4) अपील का प्रारूपण, फाइल करना और विचारार्थ स्वीकार कराना, (5) पुनरीक्षण आवेदन का प्रारूपण, फाइल करना और विचारार्थ स्वीकार कराना, (6) अपील पर बहस करना, (7) पुनरीक्षण पर बहस करना, इत्यादि और अधिवक्ता द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा कार्य "मामला करना" माना जाएगा ।

टिप्पण

ऐसे मामलों को आबंटित करते समय जो किसी अधिवक्ता द्वारा उसके वृत्तिका प्रभार लिए बिना संचालित किए जाने हैं, विधि व्यवसाय की प्रकृति को उदाहरणार्थ, क्या कोई विशेष अधिवक्ता दांडिक, सिविल, कराधान या सांविधानिक विधि संबंधी मामलों में विधि व्यवसाय करता है, ध्यान में रखा जाएगा और वह मामला जो उसे आबंटित किया जाएगा, आम तौर पर ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहां वह सामान्यतः कार्य करता है और मामले अधिवक्ताओं को वर्णक्रमानुसार रखी गई सूची के अनुसार चक्रानुक्रम में आबंटित किए जाएंगे ।

16. (क) अधिवक्ता जो विधिक सहायता मामलों में हाजिर होने के लिए सहमत है और जिसका नाम राज्य विधिक सहायता बोर्ड और जिला विधिक सहायता समिति द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं के पैनल में सम्मिलित है, अपना सही पता और टेलीफोन नंबर, यदि कोई है, ऐसी विधिक सहायता समिति को और विधिक सहायता उप समिति को, यदि कोई है, तथा उन पक्षकारों को भी देगा जिनके लिए वह किसी विशेष मामले में हाजिर होता है । उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने पते या टेलीफोन नंबर में, यदि कोई है, परिवर्तन की सूचना संबंधित विधिक सहायता समिति को दें ।

(ख) उपयुक्त विधिक सहायता समितियां दो पृथक पैनल तैयार करेंगी, एक ज्येष्ठ अधिवक्ताओं का और दूसरा ऐसे अधिवक्ताओं का होगा जो उपयुक्त मामलों में जो उन्हें निर्दिष्ट किए जाएंगे, कार्य और अभिवचन, दोनों, करेंगे ।

17. वह अधिवक्ता जो पारिश्रमिक सहित या रहित विधिक सहायता प्रदान करने का वचन देता है, उस व्यक्ति से जिसके पक्ष में विधिक सहायता दी जा रही है या ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा । किन्तु वह ऐसी फीस या मानदेय प्राप्त करने का हकदार होगा जो संबंधित विधिक सहायता समिति द्वारा विहित मापमान के अनुसार उसे दी जाए ।

18. ऐसे अधिवक्ता का जो विधिक सहायता मामले या कार्यवाही का भारसाधक होगा, यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को जिसके लिए वह ऐसे मामलों में हाजिर होता है, प्रति दिन की कार्यवाहियों के बारे में समुचित रूप से सूचित करे, ऐसे मामलों के समुचित रजिस्टर रखे और अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप में निर्वहन करे । वह उसे आबंटित मामले की प्रगति के बारे में यथास्थिति, विधिक सहायता समिति या उप समिति को भी समय-समय पर ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सूचित करता रहेगा । बहरहाल, वह पत्र लिखने, रजिस्टर आदि रखने के लिए विहित मापमान के अनुसार आनुषंगिक प्रभार प्राप्त करने का हकदार होगा ।

19. प्रकीर्ण

विधिक सहायता में जो दी जा सकेगी किसी अधिवक्ता, प्लीडर या विधि व्यवसायी द्वारा अभ्यावेदन और उनके द्वारा ऐसी सहायता करना है जो किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक कदम के बारे में और किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी राजस्व या अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी वाद, कार्यवाहियों, मामलों उनसे हुई अपीलों, पुनरीक्षणों को संस्थित, अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए या किसी अंतवर्ती आवेदन या उसे हुई अपील या पुनरीक्षण के बारे में भी अन्य मुकदमा लड़ने वालों को प्रायिकतः दी जाती है । ऐसी सहायता पूर्ण या आंशिक या उन व्यक्तियों द्वारा जिनके लिए विधिक सहायता दी जाती है, किए गए उनके अंशदान के आधार पर जितना उपयुक्त विधिक सहायता समिति विनिश्चित करे, हो सकती है ।

20. अधिवक्ता और मुवक्किलों के बीच संबंध

यह तथ्य कि किसी अधिवक्ता, प्लीडर या विधि व्यवसायी की सेवाएं विधिक सहायता के रूप में दी जाती है, ऐसे

अधिवक्ता, प्लीडर या विधि व्यवसायी के उसके और उसके मुवक्किल के बीच संबंध या ऐसे संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार या विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ।

21. गोपनीयता

विधिक सहायता प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, विधिज्ञ परिषद्, विधिक सहायता समिति या किसी उप समिति या विधिक सहायता केन्द्र, या उनकी ओर से किसी अधिकारी या व्यक्ति को विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्ति के मामले की बाबत दी गई कोई जानकारी, प्रश्नगत मामले या मामलों से संबंधित कृत्यों का सम्यक् पालन करने के प्रयोजन को छोड़ कर, विधिक सहायता के लिए आवेदन करने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रकट नहीं की जाएगी ।

22. अपील

ऐसे मामले में जहां विधिक सहायता के लिए आवेदन नामंजूर कर दिए गए हैं या विधिक सहायता समिति द्वारा और विधिक सहायता देना वापस ले लिया गया है और इसी प्रकार की अन्य स्थितियों में व्यथित व्यक्ति, यदि विनिश्चय किसी उप समिति या किसी विधिक सहायता केन्द्र का है तो जिला विधिक सहायता समिति को और यदि विनिश्चय जिला विधिक सहायता समिति का है तो राज्य विधिक सहायता बोर्ड को, उसे ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर, अपील कर सकेगा और जिला विधिक सहायता समिति या राज्य विधिक सहायता बोर्ड ऐसी अपीलों को व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर, यथा संभवशीघ्र निपटाएगा और अपील निकाय का इस बाबत विनिश्चय अंतिम होगा ।

23. विधि के विद्यार्थियों का विधिक सहायता स्कीम के साथ सहयोजन

यह राज्य विधिक सहायता बोर्ड की और जिला विधिक सहायता समिति की अधिकारिता में होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या अंतिम वर्ष के विधि विद्यार्थियों की सेवाओं को विधिक सहायता कार्य के साथ सहयोजित करना लाभदायक होगा और यदि इस प्रकार की वांछा की जाती है तो वे अहं विद्यार्थियों को विनिर्दिष्ट संख्या में इस विधिक सहायता स्कीम के साथ सहयोजित करने के लिए समुचित स्कीम बनाने के लिए हकदार होंगे ।

24. विधिक सहायता कार्यक्रम का जिलों और तहसीलों तक विस्तार.

राज्य विधिज्ञ परिषद इस विधिक सहायता स्कीम के उपबंधों को किसी राजस्व जिले या उसके भाग में आरंभ करने या उस तक विस्तार करने के पूर्व, उन स्रोतों पर विचार करेगी जो वह धन के रूप में या अधिवक्ताओं की निःशुल्क सेवाओं के रूप में एकत्र करने की स्थिति में होगी और जब कभी भारतीय विधिज्ञ परिषद की यह राय हो कि कोई जिला विधिक सहायता समिति वर्ष में कम से कम 24 मामले लेने की स्थिति में हो जाएगी और प्रति वर्ष इतने ही मामलों में विधिक सलाह देने में समर्थ होगी तो केवल ऐसी ही स्थिति में एक जिला विधिक सहायता समिति स्थापित की जाएगी जिसके भारसाधन में एक या दो राजस्व जिले होंगे । राज्य विधिज्ञ परिषद और विधिक सहायता बोर्ड विधिक सहायता स्कीमों का विस्तार चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर तालुक/उप-डिवीजन स्तर पर करेंगे और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एक बार स्कीम को किसी विशेष जिला या उसके भाग पर विस्तारित किए जाने पर वह समुचित रूप से और दक्षतापूर्वक कार्य करेगी ।

25. आवश्यक नियम और विनियमों की रचना

भारतीय विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता समिति सभी आवश्यक नियम और विनियम बनाएगी और उसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित नियम होंगे :

(क) संविधान बनाना, इन नियमों में वर्णित विभिन्न समितियों का पुनर्गठन और/या उसके सदस्यों का चयन ।

(ख) ऐसी समितियों में रिक्त स्थलों का भरा जाना ।

(ग) जहां कहीं और जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष, कार्यपालक अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में ।

(घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसे कर्मचारियों की बाबत वेतन, भत्ते, मानदेय नियत करना ।

(ङ) विभिन्न विधिक सहायता समितियों द्वारा सभी स्तर पर कार्यालयों, केन्द्रों और ब्यूरों के रख-रखाव और संचालन में आवश्यक खर्चे के अनुदान के लिए उपबंध करना ।

(च) विधिक सहायता के मामले लड़ने वाले अधिवक्ताओं और अन्य वकीलों को दी जाने वाली फीस या मानदेय के लिए उपबंध करना ।

(छ) विधिक सहायता निकायों के, यथास्थिति, विधिक सहायता या सलाह देने से इंकार करने या देने का विनिश्चय करने के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों के लिए सीमित रूप में आवश्यक फोरम (न्यायालयों) का उपबंध करना और ऐसी अपीलों की परिसीमा की अवधि तथा शीघ्र विनिश्चय के लिए उपबंध करना ।

(ज) विधिक सहायता कार्यालयों का संचालन और अनुशासन बनाए रखने के लिए उपबंध करना तथा कर्मचारियों की बाबत उनके कर्तव्य विहित करना ।

(झ) जहां कहीं और जब कभी आवश्यक हो, प्रशिक्षण शिविरों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए संपूर्ण विधिक सहायता स्कीम और कार्यक्रमों के अनुपालन के लिए सभी आवश्यक नियम, विनियम बनाना ।

(ञ) विधिक सहायता देने और उस संबंधित सभी अन्य विषयों के संबंध में आवश्यक फोरम और अपील करने के लिए फोरम (न्यायालय), अभिलेखों और लेखाओं के लिए रजिस्टर तथा सभी अन्य प्ररूप जो इन नियमों में परिकल्पित विधिक सहायता स्कीमों के संचालन के लिए आवश्यक हो, विहित करना ।

(2) ऐसे नियमों की अंतिम रूप देने में या उनका कोई संशोधन करने में, राज्य विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता समितियों से परामर्श किया जाएगा और यदि ऐसी समितियों द्वारा कोई राय अभिव्यक्त की जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा ।

विधिक सहायता मामलों में हाजिर होने वाले अधिवक्तओं/वकीलों के लिए फीस/मानदेय की अनुसूची जब तक संशोधन नहीं कर दिया जाता है, पैनल के अधिवक्ताओं/वकीलों को सभी फीस/मानदेय इसमें नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे)

(1) ऐसे अधिवक्ता/वकील को जिसे किसी कार्य दिवस को न्यायालय के समय के पश्चात् विधिक सहायता समिति के कार्यालय में और समिति के कार्य के लिए रात्रि 7.30 बजे तक उपस्थित रहना पड़ता है, ऐसी राशि का संदाय किया जाएगा जैसी समिति समय-समय पर विनिश्चय करे ।

(2) ऐसे अधिवक्ता/वकील को जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समिति द्वारा निकाले गए कनिष्ठ पैनल में है और जिसे विधिक सहायता ब्रीफ सौंपी गई है और जो अधिवक्ता अभिलेख के रूप में किसी वाद, परिवाद, पुनरीक्षण या अपील में ग्रहण किए जाने के प्रक्रम तक कार्य करता है, समेकित रूप से 125 रु० मिलेंगे ।

(3) यदि पूर्वोक्त पैनल का कोई कनिष्ठ अधिवक्ता ग्रहण किए जाने के प्रक्रम के पश्चात् कार्य करता है और (वाद, परिवाद, पुनरीक्षण या अपील की) संपूर्ण कार्यवाही की देखभाल करता है और मामले की अंतिम सुनवाई में हाजिर होता है तो उसे समग्रतः 125 रु० मिलेंगे । किन्तु राज्य विधिज्ञ परिषद् विधिक सहायता स्कीम का अध्यक्ष 250 रु तक देने के लिए हकदार होगा यदि उसकी राय में इसमें इसके पूर्व वर्णित मामले में किए गए कार्य की मात्रा और लगाया गया समय ऐसी अपेक्षा करता है तो वह संबंधित अधिवक्ता को, उसके द्वारा लिखित रूप में कारण को अभिलिखित करके, ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए हकदार होगा।

(4) ऐसा अधिवक्ता या वकील जो विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति से विधिक सलाह लेकर कार्य करता है, वादपत्र तैयार करके उसे न्यायालय में फाइल करता है, तो उसे 51 रु० मिलेंगे ।

(5) ज्येष्ठ अधिवक्ताओं से जिनके नाम ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में सम्मिलित किए गए हैं, यह आशा की जाएगी कि वे अंतिम प्रक्रम पर सुनवाई वृत्तिक प्रभार के बिना करेंगे । किन्तु विशेष मामलों में, संबंधित विधिक सहायता समिति किसी ज्येष्ठ अधिवक्ता को ऐसी न्यूनतम फीस के संदाय पर नियुक्त करेगी जैसी समिति निश्चित करे ।

विधिक सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं, ज्येष्ठ विधि विद्यार्थियों और परा विधिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता और सलाह शिविर तथा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए राज्य विधिक सहायता बोर्डों और जिला विधिक सहायता समितियों को सिफारिश की गई स्कीमें ।

न्यायालयों तथा अधिकरणों में विधिक सहायता मामले करने और मुकदमा लड़ने वाले निर्धन व्यक्तियों को विधिक विषयों में सहायता देने के महत्वपूर्ण कृत्यों का पालन करने के अलावा, राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समितियों और जिला विधिक सहायता समितियों का यह कर्तव्य होगा कि वे विधिक सहायता और सलाह शिविर आयोजित करें और अधिवक्ताओं तथा विधिक सहायता कार्यकर्त्ताओं के लिए उनके ही स्थान पर और/या जब संभव हो, संयुक्त रूप से जिला, उप संभाग या अन्य शहरों से थोड़ी दूर स्थित उपयुक्त स्थानों पर विधिक सहायता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करें ।

अधिवक्ताओं, विधि विद्यार्थियों और परा विधिक कार्यकर्त्ताओं के लिए विधिक सहायता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला

(1) राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समितियां और जिला विधिक सहायता समितियां भी छह मास में कम से कम एक बार विधिक सहायता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे और जब कभी संभव हो, ऐसे पाठ्यक्रम राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समिति और एक या अधिक जिला विधिक सहायता समितियां संयुक्त रूप से राज्य की राजधानी में या उसके समीप या जिला नगरों के समीप किसी ऐसे उपयुक्त स्थान पर

जहां ज्येष्ठ अधिवक्ता, वकील और न्यायाधीश सहज उपलब्ध हों, आयोजित किए जाएंगे ।

(2) ऐसे पाठ्यक्रम कम से कम एक सप्ताह की अवधि के और उपयुक्त कम खर्चीले होंगे और यदि संभव हो तो ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था करनी होगी और ऐसे पाठ्यक्रमों को आयोजित करने और आरम्भ करने के लिए काफी पहले से सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे ।

(3) ऐसे पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए समुचित प्रचार किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के स्वरूप चर्चा किए जाने वाले विषय और उनकी तारीखों तथा समय के बारे में विस्तृत वर्णन होगा और उसमें उन ज्येष्ठ अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और शिक्षकों के नामों का जो भाषण देंगे और ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों को प्रशिक्षण देने में सहायता करेंगे, विनिर्दिष्ट रूप से वर्णन करना होगा । ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों की अर्हताएं विनिर्दिष्ट रूप से बताई जाएंगी और उन फायदों के बारे में एक विवरण जो ऐसे पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने पर प्रत्येक भाग लेने वाले को प्राप्त होंगे और सभी ऐसी तथा अन्य आवश्यक जानकारी देने वाली मुद्रित या कम से कम चक्र-मुद्रित सामग्री सभी जिला, उप-संभागीय और तहसील बार एसोसिएशनों, उस क्षेत्र में जहां ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और विधि महाविद्यालयों के प्रचार्यों को भी, उनसे पूर्णसहयोग की अपेक्षा करते हुए, भेजी जाएगी ।

(4) ऐसे पाठ्यक्रम में उपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों से उन्हें समुचित विस्तृत कार्यक्रम, पठन सामग्री और अन्य आवश्यक कागज पत्रों आदि की व्यवस्था करने के लिए कुछ ऐसे न्यूनतम संभव-प्रभार जो विनिश्चत किए जाएं, वसूल किए जा सकेंगे ।

(5) प्रति दिन की कक्षाओं में व्याख्यानों और चर्चाओं को समुचित रूप से सीखने और समझने में प्रशिक्षणार्थियों को समर्थ बानने के लिए उन्हें सभी आवश्यक और संबंधित विधि और निर्देश पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(6) शिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाएंगे जिससे कि प्रशिक्षणार्थियों को किसी विशेष दिन के दो या तीन व्याख्यानों पाठ्यक्रमों के बीच उपयुक्त विधि पुस्तकें देखने का समय मिल सके और वे किसी विशेष विषय या मुद्दे पर अपनी शंका दूर करने के लिए व्याख्याताओं और शिक्षकों से विचार-विमर्श भी कर सकें और अंतर्वलित किसी विशेष मुद्दे को समझ सकें ।

(7) न्यायालय के समय में एक या दो दिन प्रशिक्षणार्थियों को न्यायालय की प्रक्रिया दिखाने के लिए न्यायालयों में ले जाया जाए और उन्हें सिविल तथा दांडिक मामलों की सामग्री तथा उच्च न्यायालयों में सांविधानिक और संसक्त विषयों की सामग्री दिखाई जाए । प्रशिक्षणार्थियों को किसी विशेष न्यायालय में ले जाए जाने के पूर्व संबंधित न्यायालय या न्यायालयों से उन मामलों के आवश्यक ब्यौरे प्राप्त कर लिए जाने चाहिए जो उस दिन उस न्यायालय में सुने जाने हैं और उनका सार संक्षेप प्रशिक्षणार्थियों को उस न्यायालय में ले जाए जाने के पूर्व बता दिया जाना चाहिए । ऐसे न्यायालयों में प्रशिक्षणार्थियों को ले जाने के पूर्व, संबंधित न्यायालय की पूर्व-अनुज्ञा ले लेनी चाहिए ।

(8) जिस क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा की जानी है वहां की विधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विषय चुने जाने चाहिए, अर्थात सिविल और दांडिक विधियां और प्रक्रियाएं, अभिवचन, साक्ष्य, भू-विधियां, नगरपालिक विधियां, कुटुंब-विधियां, विवाह संबंधी विधियां, विवाह-विच्छेद, दहेज विरोधी विधियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के हितों को लागू होने वाली विधियां, नागरिकों के अधिकारों और बाध्यताओं से संबंधित सांविधानिक विधियां, आदि।

(9) व्याख्यान देने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए केवल ऐसे ज्येष्ठ वकीलों, शिक्षकों और न्यायाधीशों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिनका उन्हें आबंटित विषय पर ज्ञान सर्वसाधारण को ज्ञात हो और जिनके विचारों को प्रशिक्षणार्थी आदरपूर्वक ग्रहण करें ।

(10) विधिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण शिविर और सभी कार्य सभी राजनैतिक प्रभावों से मुक्त होना चाहिए और आरंभ में ही इस बात का आश्वासन ले लिया जाना चाहिए और विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन कर दिया जाना चाहिए कि इसका किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है ।

(11) विधिक सहायता कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले वकीलों का एक नियमित स्वयं सेवी दल उन विधि-

व्यवसायों में से संगठित किया जाना होगा जो बड़ा अनुशासन रखते हुए, विधिक सहायता पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्य करने के लिए सहमत हैं।

(12) ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को समुचित प्रमाणपत्र दिए जाने चाहिएं जिसमें यह वर्णित हो कि उन्होंने राज्य विधिज्ञ परिषद विधिक सहायता समिति द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है । सभी ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के नाम और उनके उचित पतों की एक सूची रखी जाएगी और भविष्य में विधिक सहायता कार्यक्रम की सफलता के लिए उनकी सेवाओं को लाभदायक रूप में उपयोग में लाया जाएगा ।

विधिक सहायता मंजूर करने के लिए आवेदन

विधिक सहायता समिति, ... के समक्ष

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :

   ग्राम :

   डाकघर :

   थाना :

   जिला :

4. आवेदक की आय (सभी स्रोतों से) :
5. आवेदक या उसके पुत्रों और पुत्रियों के नाम से भारित संपत्ति का ब्यौरा
6. ऐसी सम्पति का मूल्य :
7. शिकायतों या दावों का संक्षिप्त विवरण (यदि आवश्यक हो तो पृथक कागज पर लिखें):
8. उस पक्षकार का या उन पक्षकारों के नाम जिनके या जिनके विरुद्ध दावा/शिकायत किया गया है और उसका पता/उनके पते, अर्थात् ग्राम, डाकघर, थाना, जिला :
9. मांगी गई विधिक सहायता का प्रकार :
10. यदि किसी लंबित मामले के बारे में सहायता मांगी गई है तो उस मामले का ब्यौरा, प्रक्रम, न्यायालय और मामला संख्या आदि की विशिष्टयां स्पष्टतः बताई जाएं ।
11. क्या शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं की मध्यस्थता स्वीकार्य है ?
12. क्या आवेदक ने उसी मामले की बाबत किसी अन्य विधिक सहायता प्राधिकारी से विधिक सहायता या सलाह के लिए आवेदन किया है या प्राप्त की है और क्या उसने एक ही वाद हेतुक की बाबत पहले से विधिक सहायता के लिए आवेदन किया है और क्या कोई ऐसा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था ?

मैं, इस आवेदन पत्र में वर्णित अपने मामले की बाबत विधिक सहायता समिति, ... के विनिश्चय का पालन करने के लिए सहमत हूं और यदि मेरे मामले में सहायता देने का विनिश्चय किया जाता है तो मैं वचन देता हूं कि मैं अपने मामले पर कार्यवाई करने वाले विद्वान अधिवक्ता को समुचित अनुदेश दूंगा और उक्त विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपने मामले के समर्थन में सभी आवश्यक, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा ।

हस्ताक्षर

तारीख .....

उप समिति के सदस्यों के टिप्पण

1. विधिक सहायता/सलाह प्राप्त करने का हकदार है या नहीं ।
2. मामला अच्छा है और सफल होने की संभावना है/नहीं है ।
3. किस प्रकार की सहायता की सिफारिश की गई है (पूर्ण या आंशिक)
4. टिप्पणियां :

विधिक सहायता समिति द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों का

क्रम सं०	आवेदक का नाम	पता	प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम	पता	मामले की प्रकृति	दी गई सहायता का स्वरूप	मामले का परिणाम	निपटारे की तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नियमित)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 1987

सं० एस० नं० सी० ए०/44/87--इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 29 की उपधारा III के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वास्तुकला परिषद् ने नीचे लिखे वास्तुविदों के नामों की मृत्यु के कारण नीचे उनके नामों के आगे लिखी तारीख से परिषद् के वास्तुविक रजिस्टर से काट दिया है:--

क्रम सं०	रजिस्ट्रेशन नं०	नाम व पता	नाम काटने की तारीख
1	2	3	4
1.	सी ए/75/842	श्री आर० डी० साने प्रोसपैक्टस चैम्बरर्स एनेक्सी डी० एन० रोड बम्बई-400001	27-5-1987
2.	सी ए/75/2465	श्री एन० एस० तम्बोली ब्लाक एम नं० 11 करसोव बाग, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट बम्बई-1	--वही--
3.	सी ए/77/3873	श्री एन० एन० मालवारी इंजीनियर ऐसोसियटस गौरीशिमा बिल्डिंग 12, साऊथ स्ट्रीट, बम्बई-8	--वही--
4.	सी ए/75/1706	श्री बी० ई० डाक्टर "धनूर" तीसरी मंजिल, सर पी० एम० रोड, फोर्ट बम्बई-1	--वही--
5.	सी ए/76/2770	श्री के० सी० मौहाला निल, 51, मालविय नगर, नई दिल्ली-17	--वही--
6.	सी ए/75/2286	श्री ए० डी० घाटे विशाल बिल्डींग, नजदीक आर० एम० एस० आफिस, नासिक रोड (एम० एस०)	--वही--
7.	सी ए/75/2010	श्री जे० डी० मौटाफराम मार्फत स्की रिकार्डस कालकोट हाऊस, 8-10 तामरिन्ड स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई-1	--वही--
8.	सी ए/77/3831	श्री जे० एस० एफ० इंजीनियर कम्पाउन्ड आफ बाबा गांधी फायर मन्दिर, नारायणमूर्ति एस० पाठकर रोड (पुराना ह्यूस रोड) बम्बई-7।	--वही--
9.	सी ए/76/3442	श्री एस० एस० रूबेन मुख्य वास्तुविद और टाउन प्लानर साईन्टैक्स इण्डिया लि०, पुन्डवा, पूना	27-5-1987
10.	सी ए/75/197	श्री एम० एच० बैलोगी तीसरी मंजिल, एग्जामिनर प्रैस बिल्डिंग, 35, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1	--वही--
11.	सी ए/75/2100	श्री आई० एस० मैनी 0/0, सिनियर वास्तुविद 11 (पी और टी) संचार भवन, नई दिल्ली।	--वही--
12.	सी ए/75/1927	श्री आर० के० गोयल दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली।	--वही--
13.	सी ए/75/468	श्री डी० बी० लाल आसिस्टैन्ट प्रोफेसर वास्तुकला विभाग गोआ कालेज आफ इंजीनियरिंग फर्मागुढ़ी (पोन्डा) गोआ।	--वही--

इन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के जो मूल प्रमाण दिए गए हैं, उन्हें सिविल प्रक्रिया सहित 1908 की धारा 2 के खण्ड दो में परिभाषित उनके कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा परिषद के रजिस्ट्रार को तत्काल लौटा दिए जाएं।

सं० एफ० नं० सी० ए०/46/87--इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वस्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों के उनके द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है:--

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नं०	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एम० एस० शर्मा 13, राजपुर रोड, देहरादून।	सी ए/81/6148	25-11-1986
2.	श्री फैरसी शोहराब दरोगा वास्तुविद एवं योजना, नं० 5, ब्लाक 5 ए, कोरामंगला, बंगलौर-34	सी ए/76/3199	1-1-1987
3.	श्री ई० जी० बाकर ए-7, सतकार शाहनिवास, माथपई नगर, घाट कापर (ईस्ट) बोम्बे	सी ए/85/9289	22-1-1987

1	2	3	4
4.	श्री सुभाष चन्द्र गर्ग वास्तुविक विभाग एम० ए० सी० टी० भोपाल	सी.ए/79/5304	17-2-1987
5.	श्री एन० जे० पटवर्धन 55/14 इरनडापना पूने	सीए/76/3044	17-2-1987

सं० एफ० नं० सी० ए०/47/87--इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 के नियम 34 द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों को उनके द्वारा खो देने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है।

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन नम्बर	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री डी० आजाद 389, बापूजी लेआउट विजयनगर बंगलौर-40	सीए/81/6416	11-8-1986
2	श्री सुरेन्द्र ब्रजलाल गामी 4 चन्द्रा दर्शन फ्लैट नजदीक दिनेश हाल आश्रम रोड अहमदाबाद-9	सीए/75/1175	19-8-1986
3.	श्री प्रदीप कुमार एम० मोदी 2, लौखन्डवाला बिल्डिंग सूर्या होटल के पीछे स्याजी गंज, बड़ौदा-390005	सीए/83/7644	26-8-1986
4.	श्री सी० आर० मेहता, रसिक निवास नजदीक भारतीय सोसायटी, ऐलिस ब्रिज, अहमदाबाद	सीए/75/1598	10-9 1980
5.	श्री यू० पी० पारिख, 4, गगनसागर, नजदीक अमीरा डा० विक्रम साराभाई रोड, अहमदाबाद	सीए/75/1599	10 9-1986
6.	श्री जे० एम० बैनजामिन, ए-7, निर्माण विहार, दिल्ली-92	सीए/75/1734	12-9 1986
7.	श्री सौलामन जे० बैनजामिन ए-7, निर्माण विहार दिल्ली-92	सीए/84/8430	24-9-1986
8.	श्री अमित कुमार बोस 16/19, सिविल लाईन्स, रुड़की-247667	सीए/80/5554	29-9-1986
9.	श्री बी० बी० सिंह नेगी, 13, पटेल रोड, देहरादून-248 001 (यू० पी०)	सीए/80/5618	29 9-1986
10.	श्री हुरसैदार ऐरक करनक, यूसूफ मैनशन, "बी" ब्लाक 1 मंजिल खेतवाड़ी बैंक रोड, ग्रेड रोड, बोम्बे-400004	सीए/83/7365	29-9-1986
11.	श्री राजेन्द्र श्याम लाल भटनागर, 17/19, दलाल स्ट्रीट, वाडिया बिल्डिंग चौथी मंजिल फोर्ट बम्बई-400001	सीए/75/1067	30-9-1986
12.	श्री लक्ष्मण सदानन्द देसाई, मापूसा, नजदीक मापूसा म्यूनिसिपेलटी बिल्डिंग, मापूसा, गोआ-403507	सीए/83/7518	30-9-1986
13.	श्री पी० जे० बिरिटो एच० नं० 130, वोड़ी, कनकोलिम सालसिटी, गोआओ	सीए/76/2559	30-9-1986
14.	श्री यू० जी० प्रधान, सुशीला अपार्टमैन्ट, तीसरी मंजिल, दाजी रामचन्द्रा मुराई, थाने	सीए/83/7692	6-10-1986
15.	श्री कन्हैया लाल हिरजी राथोड़, भजन भवन ब्लाक 4, पहली मंजिल, 67, ज्योतिबा फुल रोड दादर (वैस्ट), बम्बई-400014	सीए/75/2083	15-10-1986
16.	श्री कमलाकर अमरित काले, ई-308, बी० सी० एम० ई० कौम्पलैक्स, पूना	सीए/76/3365	15-10-1986
17.	श्री विजय कुमार गणेश वाघनेरे, डी-18/145, एम० आई० जी० कालौनी बान्द्रा (ई) बम्बई-51	सीए/80/5811	13-10-1986
18.	श्री कुलदीप सिंह दिलकू टर्बाइन हाउस, ए/13, पार्क साईट विखरोली, बम्बई-400 079	सीए/805/765	27-10-1986
19.	श्री शरद कुमार लाल, 140, फ्लौरा एवेन्यू, 129 वैलनट क्रीक, कैलीफार्निया-94585	सीए/79/4994	9-12-1986
20.	श्री दीपक मधोक, ई-96, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली 48	सीए/76/2514	9 12 1986
21.	श्री सुधीर जैयन्तीलाल वाजानी, 9, जैयन्तीलाल रामजी एंड कम्पनी, 9-माली भवन, पाठक वाड़ी, बम्बई-400 002	सीए/[illegible]/8231	23 12-1986

1	2	3	4
22.	श्री चारूदत्ता पी० पंडित, 2/1, दालवी चौक, अजीत ग्लास, एस० वी० रोड, जोगेश्वरी, बम्बई ।	सी ए/83/7925	24-12-1986
23.	श्री के० के० शर्मा, एल पी-44 डी, प्रीतम पुरा, दिल्ली ।	सी ए/77/4161	2-1-1987
24.	श्री अभिजीत रॅय, डी-81, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली ।	सी ए/76/2369	7-1-1987
25.	श्री एम० वी० वालवालकर, 303, यशोधरा, तीसरी मंजिल, यशोधरा, फिल्म सिटी, नजदीक हाईवे, गोरेगांव (ई), बम्बई-63 ।	सी ए/81/6497	19-1-1987
26.	श्री सुबोध कुमार अग्रवाल, 795, वैलीफलोवर बिल्डिंग एपार्टमैन्ट 30 लौंग बिच, सी ए 90815, यू० एस० ए० ।	सी ए/78/4367	19-1-1987
27.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बी-7, सरस्वती नगर, दिल्ली-52 ।	सी ए/76/2444	28-1-1987
28.	श्री आर० जी० लकूली, 1059/बी, वैद्य बाग, नजदीक पंजाब पौल, सांगली ।	सी ए/85/8941	2-2-1987
29.	श्रीमती राधा चक्रवर्ती, एच-1501, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 ।	सी ए/79/4874	5-2-1987
30.	श्री विजय कुमार, एल-10, कैलाश कालौनी, नई दिल्ली-48 ।	सी ए/79/5288	10-2-1987
31.	श्रीमती के० एन० राजालक्ष्मी, 593/3, 11 मेन रोड 13 क्रोस, मालेश्वरम्, बंगलौर-560003 ।	सी ए/85/9322	13-2-1977
32.	श्री एम० वी० दलवी, 30, पहली भाटवाड़ी, रैनूका निवास, बम्बई-4 ।	सी ए/75/1968	16-2-1987
33.	श्री वाई० एम० सक्सेना, कमल टाकिज बिल्डिंग, बरेली ।	सी ए/77/4211	17-2-1987
34.	श्री जे० पी० वोरों, "परधीव", नजदीक हरीहर सोसायटी, हाउसिंग बोर्ड वैस्ट 2/3, मेन रोड, राजकोट ।	सी ए/79/1315	16-2-1987
35.	श्री ए० बी० शाह, ए-5, महावीर ज्योत, कोस आगरा रोड, जैनरल मुलून्ड (वैस्ट) के सामने बम्बई-80 ।	सी ए/86/9796	18-2-1987
36.	श्री जे० आर० ऐरिया, सुनामा हाउस, दूसरी मंजिल 140, कुम्बाला हिल, बम्बई ।	सी ए/76/2659	19-2-1987
37.	श्री के० एच० देसाई, 5/6, वीरमनूस विला, पहली मंजिल 75, रानाडे रोड, बम्बई-78 ।	सी ए/76/2803	19-2-1987
38.	श्री वी० जे० पिरियानयेगम, 31, डूमिंग स्ट्रीट, सन थोमस, मद्रास-4 ।	सी ए/75/1316	19-2-1987
39.	श्री एस० बी० मेहता, "गिरधर निवास", ईस्ट पास्ता लिन के सामने, कोलाबा, बम्बई-5 ।	सी ए/75/1671	23-2-1987
40.	श्री एस० के० घरौलकर 43, रफी मानसीयन 16 और 28 रोड जंकशन गुरू नानक पार्क के सामने टी० पी० एस० 3, बान्द्रा बम्बई ।	सी ए/82/6814	27-2-1987
41.	श्री एम० जैड० मोहीउद्दीन न्यू मलकापेट हाऊस नं० 191 "ए" क्लास सिर्चुऐटड एट न्यू मलकापेट लोकलिटी हैदराबाद-500036 ।	सी ए/84/8713	3-3-1987
42.	श्री एम० जी० बापैया न्यू बिल्डिंग शास्त्री भवन जाऊजी दादाजी मार्ग, नाना चौक, बम्बई-400007 ।	सी ए/75/769	5-3-1987
43.	श्री बी० बी० जोशी 146, गौले बाग के सामने अमृतसर ।	सी ए/75/1535	9-3-1987
44.	श्री सुरेन्द्र मोहन सौनी ए-240, न्यू फैन्डस कालौनी नई दिल्ली ।	सी ए/75/2499	9-3-1987
45.	श्री देवकी नन्दन शर्मा 15/266, चिल्मी इन्ट० रोड, आगरा ।	सी ए/76/2771	9-3-1987
46.	श्री वी० के० कुप्पा राज 58, निरूमलाई पिल्लई रोड टी० नगर, मद्रास-17 ।	सी ए/75/91	18-3-1987
47.	श्री जे० आर० चौकसी श्याम कुटीर, नजदीक खादरियता कालौनी, नेताजी रोड, एलिस-ब्रिज अहमदाबाद-6 ।	सी ए/75/909	18-3-1987

1	2	3	4
48.	श्री एम० के० केलकर 10, धीना हाऊस एस० टी० प्रकाश कोटनिस मार्ग महीम, बम्बई ।	सी ए/81/6593	23-3-1987
49.	श्री गोपाल सिन्दे शिवाजी नगर लटूर ।	सी ए/83/7897	2-3-1987
50.	श्री विवेक अच्युत कुलकर्णी किस्ती 15ए/9, कारवे रोड़ पूना-411004 ।	सी ए/75/575	23-3-1987
51.	श्री शरद बाला साहेब जगवाले 348, ई, स्टेशन रोड़ कोलापुर ।	सी ए/75/719	25-3-1987
52.	श्री जैड० एम० कोतवाल 159, 29 रोड़, टी० पी० एस० 111 बान्द्रा, बम्बई-50 ।	सी ए/75/2292	9-3-1987
53.	श्री सी० पी० सबरवाल 54, नवजीवन विहार नई दिल्ली ।	सी ए/76/2697	27-3-1987
54.	श्री बी० के० भौसले 204 "ई", राज बिल्डिंग, नजदीक होटल पैरल कोलहापुर ।	सी ए/76/3051	30-3-1987
55.	श्री यतिन्द्र माथुर 764, सैक्टर 8-बी० चंडीगढ़ ।	सी ए/76/3106	30-3-1987
56.	श्री प्रवीन नीलकंठ यादव जी-50, वैस्ट कालोनी, डाक्टर एस० एस० राव रोड़, पारेल, बम्बई-400012 ।	सी ए/79/5283	31-3-1987
57.	श्री संजीव लाल सी-4, डी० डी० ए० फ्लैटस भीम नगर, होज खास नई दिल्ली 1-10016 ।	सी ए/82/6803	3-4-1987
58.	श्री मेजर सिंह बडवाल 27, सैनी इन्कलेव, आई० पी० एक्सटेंशन-11, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 ।	सी ए/82/6908	3-4-1987
59.	श्री रविन्द्र दीनानाथ सेठी 102, मंगल स्मृति 14, पहली रोड़ जंक्शन खार (वैस्ट), बम्बई-52 ।	सी ए/75/1023	14-4-1987
60.	श्री जी० एन० ऊपारे सैना मन्दिर रोड़ सांगली-416416 ।	सी ए/75/1646	14-4-1987
61.	श्री डी० पी० रांगनेकर बी-17, सुऐण अमर हिन्द मण्डल के नजदीक, गोखले रोड़, मार्थ दादर, बम्बई-28 ।	सी ए/76/1852	30-3-1987
62.	श्री विरेन्द्र कुमार 31, चर्च रोड़ शांति नगर, बंगलौर ।	सी ए/79/3971	29-4-1987
63.	श्री आर० एच० मलूजा चोपड़ा ।	सी ए/85/9381	29-4-1987
64.	श्री प्रवीण कुमार 1127, सैक्टर 8-सी चंडीगढ़ ।	सी ए/80/5709	30-4-1987
65.	श्री उपाध्याय राम सहायक प्लानर, नेशनल डवलपमैन्ट कारपोरेशन पी बी-129, थिम्पू भूटान, मार्फत सैक्टर-6 नोएडा (यू० पी०) ।	सी ए/84/7990	6-5-1987
66.	श्री सुभाष मनोहर जुकार महेश सदन, दूसरी मंजिल किसान नगर नं० 8, रोड़ 16, वागले स्टेट, थाने-400604 ।	सी ए/85/9061	15-5-1986
67.	श्री के० के० काले मुख्य अध्यापक कालेज आफ इंजीनियरिंग एवं टैक्नीकल शिवाजी पार्क अकोला-444001 ।	सी ए/75/841	21-5-1987
68.	श्री बलदेव बाबर 24/37, पुराना राजेन्द्र नगर नई दिल्ली-110060 ।	सी ए/75/1082	25-5-1987
69.	श्री एम० जी० देवभक्ता मैसर्स साने एवं पं मास्टर प्रोसपैक्टर चैम्बर एनेक्सी डाक्टर डी० एन० रोड़, फोर्ट, बम्बई ।	सी ए/75/541	27-5-1987
70.	श्रीमती मीरा एम० देवभक्ता मैसर्स साने एवं पं मास्टर प्रोसपैक्ट चैम्बर्स एनैक्सी डाक्टर डी० एन० रोड़ फोर्ट, बम्बई ।	सी ए/76/2610	27-5-1987
71.	श्री सुभाष चिम्बेलकर पुष्करराज 31, मुकन्द नगर पूना-37 ।	सी ए/75/708	1-6-1987
72.	श्री मुकुल सिंह फ्लैट नं० 5, आर्टस कालेज कैम्पर्स टैगोर मार्ग, लखनऊ ।	सी ए/78/4753	2-6-1987
73.	श्री पी० ए० आचार्येकर 516 "ई" एस० टी० स्टेन्ड केसासमे कोलहापुर ।	सी ए/75/1757	--वही--

1	2	3	4
74.	श्री एस० जी० बोरसे मैसर्स स्पैस प्लानर्स 313, हिरन मैनशियोन जोलाह रोड़ नासिक ।	सी ए/79/5267	2-6-1987.
75.	श्री पी० आर० घारिया 8, नन्द भवन 61, बाबा जैम्स रोड़ (नजदीक हनुमान गली) कल्बादेवी बम्बई 22 ।	सी ए/79/5367	--वही--
76.	श्रीमति प्रीति थिन्डीयाल मार्फत एम० एस० राठुरी 153, बसन्त विहार एफ०आर० आई० गेट के सामने देहरादून (यू० पी०) ।	सी ए/83/7722	2-6-1987

के० वि० नारायणा आयंगार,
रजिस्ट्रार ।

STATE BANK OF INDIA

Bombay-400021, the 24th July 1987

NOTICE

No. Co : BOD P&L/27527.—Notice is hereby given that the Principal register and the Branch Registers of the State Bank of India will be closed for transfer of shares from Thursday, the 27th August, 1987 to Thursday, the 10th September, 1987, both days inclusive.

D. N. GHOSH, Chairman.

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 2nd July 1987

No. ADM/28843.—The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :

Shri K. Venkateswara Rao, Officer in Top Executive Grade Scale VI has assumed charge as Dy. General Manager (Inter-Office Accounts), Central Office, with effect from July 1, 1987.

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager
(Personnel and H.R.D.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400005, the 18th May 1987

No: 3WCA(5)/3/87-88. —With reference to this Institute's Notification No. 3WCA(4)/7/86-87 dated 25-2-1987, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964, that in exercise of the Powers conferred by regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	4174	Shri B. M. Shah, FCA N-305, Navin Asha, 126/D, Phalke Road, Dadar, BOMBAY - 400 014.	4-5-1987
2.	34394	Mrs. Jyotsna N. Shah, ACA 1930, N. Vermont 301, Los Angeles, CA-90027 (U.S.A.)	4-5-1987

1	2	3	4
3.	36171	Shri Mukesh K. Parekh, ACA 7/2438, Chowki Street, Saiyedpura, SURAT-395003.	1-8-1986
4.	38129	Shri Gaurang M. Choksi, ACA 33/I, Haripark Society, Opp. Ankur Bus Stand, Naranpura, AHMEDABAD.	1-5-1987

The 1st June 1987

No. 3WCA(5)/4/87-88.—With reference to this Institute's Notification No. 3NCA(4)/9/85-86 dated 31-3-1986, 3SCA(4)/10/86-87 dated 27-2-1987, 3WCA(4)/7/86-87 it is hereby notified in pursuance of Regulations 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964, that in exercise of the Powers conferred by regulation 17 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sr. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	6670	Shri Migdono Victor Almeida, ACA Shangrila Apartments, Flat No. 1/402, 31, Bund Garden Road, PUNE-411 001.	09-02-1987
2.	22356	Shri K. Sripathi Urala, ACA 903, 9th Floor, Stock Exchange Towers, Dalal Street, Fort, BOMBAY-400 023.	01-08-1986
3.	38234	Rajesh Rameshchandra Shah, ACA Ist Parsiwada Lane, 37/38, Old Hira Building, 2nd Floor, C. P. Tank, BOMBAY-400 004.	27-05-1987
4.	34657	Shri Arun Padmakar Annachhatre A. C. A., 1206,/B/13, Shivaji Nagar, PUNE-411 004.	19-05-1987
5.	70696	Shri Kuber Dutt Sharma, ACA 1, Kasturba Nagar, Opp. Union Bank, S A M A, BARODA.	15-05-1987
6.	30948	Shri Ramachandra Mahesh Iyer, A. C. A., 'PRASAD' 1491, B, Main Road, South End, Block 9, Jayanagar, BANGALORE-560 069.	13-04-1987

The 25th June 1987

No. 3WCA(4)/5/87-88 —In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen: —

Sl. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	3531	Shri V. M. Desai M/s. DESAI & DESAI, Chartered Accountants, 411, Rewa Chambers, 4th Floor, 31, New Marine Lines, BOMBAY-400 020.	15-3-1987
2.	6194	Shri M. M. Doshi, M/s. M. M. DOSHI & Co., Chartered Accountants, 207, Sujata Chambers, 1-3, Mirchi Street, Katha Bazar, Narshi Natha Street, BOMBAY-400 009.	09-05-1987
3.	17930	Shri S. M. Ajgaonkar, 15, Saroj Co-operative Housing Society, Plot No. 70, Tarun Bharat Society, Chakala, Andheri (East), BOMBAY-400 099.	30-05-1986

R. L. CHOPRA
Secretary

Calcutta-700071 dated the 30th June 1987

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/5/3/87-88—With reference to the Institute's Notification No./Nos. 3ECA/4/10/86-87 dated 27th Feb., 1987.

It is hereby notified that in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulation 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chertered Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of the following member with effect from the date mentioned against his name :—

Sr. No.	Membership No.	Name & Address	Date
1	2	3	4
1.	51112	Shri Shiv Kumar Chirania, F. C. A. 3/A, Jagmohan Mullick Lane, Calcutta-700 007.	13-04-1987

R.L. CHOPRA
Secretary

Kanpur, the 9th June 1987

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3-CCA(5)/4)/87-88 —With reference to this Institute's Notification Nos. 3/CCA(4)/(9)/86-87 dated 5-3-1987, 3-CCA (4)/(10)/86-87 dated 19-3-1987 it is hereby notified that in persuance of Regulation 18 of Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the names of the following Members with effect from the dates mentioned against their names.

Sl. No.	Membership No.	Name & Address	Date
1	2	3	4
1.	36527	Shri Purushottam Maheshwari, A.C.A., C/o Shri Laxmilal Ajmera, 29/44 Gandhi Nagar, BHILWARA-311001.	06-04-1987
2.	72244	Shri Bal Krishna Mahajan, A.C.A., G/47, M. I. G. Colony, INDORE-452008.	04-05-1987

The 25th June, 1987

No. 3-CCA(5)/3/87-88—With reference to this Institute's Notification No. 3-CCA(4)/6/86-87 dated 28-1-1987 it is hereby notified in persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the name of the following members with effect from the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Membership Number	Name & Address	Date
1	2	3	4
1.	17033	Shri Murari Lal Sureka, FCA, C/o Shree Ram Silk Mills, 113-114, Good Luck Textile Market, Ring Road, SURAT.	29-04-1987

R. L. CHOPRA
Secretary.

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700016, the 25th June 1987

(COST ACCOUNTANTS)

No. 30-CWA(56)/87.—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, (Act No. 23 of 1959), the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has made the following amendments in the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, the same having been previously published and approved by the Central Government as required by Sub-section (3) of the said Section.

1 These Regulations may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1987.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, in Regulation 12, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :

"(3A) Every complaint other than a complaint made by or on behalf of the Central or any State Government, shall be accompanied by a deposit of a sum of Rs. 50/- which will be forefeited if the Council after considering

the complaint comes to the conclusion that no prima facie case is made out and that the complaint is either a frivilous one or is made with malafide intention."

D. C. BHATTACHARYA, Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th June 1987

No. U-16/53/86-Med.II(Karnt). In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr B. K. Jayaraj of Mysore to function as Medical Authority with effect from 1-7-1987 to 30-6-1988 or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Mysore Centre at a monthly remuneration as per existing norms, for the purpose of Medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. VED PRAKASH
Medical Commissioner.

INDIAN NURSING COUNCIL

New Delhi-110 002, the 1st July 1987

No. 11-1/76-INC.—Whereas the Indian Nursing Council has, in pursuance of Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), by a resolution passed at its meeting held on the 5th April, 1980 declared that the nomenclature of the recognised qualifications of the R. A. K. College of Nursing, New Delhi, specified in Column (1) be changed with effect from academic session, 1980 to those specified in Column (2) thereof :—

(1)	(2)
Diploma in Nursing Administration Nursing Tutors Diploma Midwifery Tutors Diploma	Diploma in Nursing Education and Administration.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 15 of the said Act, the above declaration made under Section 10 of the said Act is hereby published in the Gazette of India for general information.

No. 11-1/76-INC.—Whereas the Indian Nursing Council has, in pursuance of Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947) (hereinafter referred to as the said Act), by a resolution passed at its meeting held on the 27th March, 1985, declared that the nomenclature of the recognised qualification of the All India Institute of Hygiene & Public Health, Calcutta, specified in Column (1) be changed with effect from 15th September, 1975 to those specified in Column (2) thereof :—

(1)	(2)
Certificate in Public Health Nursing.	Diploma in Public Health Nursing.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 15 of the said Act, the above declaration made under Section 10 of the said Act is hereby published in the Gazette of India for general information.

MRS. S. K. KARKARA
Secretary

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi-110 016, the 3rd July 1987

No. NCDC:1-3/82-Admn.—In exercise the powers conferred by Regulation 67 of the National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation with the approval of the Central Government has amended the NCDC Travelling and Daily Allowance Regulations as under :—

(i) For Regulation 4, substitute the following :—

By Road : For journey performed by road, an employee will be entitled to road mileage at the following rates :—

Employees of A&B Grades.—Actual fare by Public Bus or rates as notified by the concerned Directorate of Transport for taxi and auto rickshaw for travel by own car/full taxi and own scooter/own motor cycle/auto rickshaw.

Employees of C&D Grades.—Actual fare by Public Bus or rates notified by the concerned Directorate of Transport for auto rickshaw for travel by own scooter/own motor cycle/auto rickshaw.

Provided, that when journey is performed by taking a single seat in a taxi or sharing its hire charges with another person or by Deluxe/Air-conditioned Bus, the road mileage will be paid @ actual fare paid limited to the rail fare by the entitled class for the road distance involved.

(ii) For proviso to Regulation 5.4, substitute the following :—

In case of journeys from residence to airport/railway station/bus terminus and from the airport/railway station/bus terminus to place of residence while proceeding on tour/returning from tour, as the case may be, both at Headquarters and Outstations, an employees will in addition be entitled to reimbursement of the actual fares paid by him/her for taxi, scooter, rickshaw/public transport.

Where an employee uses his own car for such journey, he/she will be entitled mileage limited to one trip each only at the time of arrival and departure but at the rate approved for taxies as prescribed by competent local authority.

Note : Full taxi/outo rickshaw charges included surcharge and night charge, if any.

These amendments will come into effect from the date of their publication in the Gazette of India.

S. SOM
Managing Director

BAR COUNCIL OF INDIA LEGAL AID RULES

New Delhi, the 26th June 1987

CHAPTER I

1. (a) These Rules shall be called the Bar Council of India Legal Aid Rules, 1983.

(b) These Rules shall come into force in whole or in part as may be decided by the Bar Council of India and in accordance with the notification that may be made and published by the Bar Council of India in the Gazette of India and with effect from such date or dates as may be specified in such notification.

2. *Definitions*

In these Rules unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Advocate Act, 1961.

(b) "Advocate" means an Advocate who is enrolled as such by any State Bar Council under the provisions of the Act and whose name is maintained on the Roll of any State Bar Council.

(b) "Aided Person" means a person to whom Legal Aid or Advice has been sanctioned, and who is receiving or has received Legal Aid or advice.

(d) "The Council" means the Bar Council of India.

(e) "Court" includes all courts and tribunals and other forums before which legal parctitioners are entitled to appear, act and plead.

(f) "State Bar Council" means any State Bar Council constituted under the Act.

(g) "Legal Aid" shall consist of representation by a Legal Practitioner and all such assistance as is usually given by them.

(h) "Legal Advice" includes oral or written advice on the liberty, right, title and interest of a person in any proceeding requiring judicial decision.

(i) "Financial Year" means the period from 1st April of one year to 31st March of the next succeeding year.

(j) "Person entitled to Legal Aid" means a person applying for legal aid in the prescribed form and manner for prosecuting, defending or continuing to prosecute or defend a case in any Court in India and whose financial means and position, in the opinion of the Legal Aid or any Sub-Committee appointed for the purpose, is insufficient for the said purpose or a person who is entitled to have legal advice under the provisions of these Rules.

(k) "Prescribed year" means the period from 1st April of one year to 31st March of the next succeeding year.

(l) "Rules" means the Bar Council of India Legal Aid Rules.

CHAPTER-II

3. *Constitution and Functions of the Bar Council of India Legal Aid Committee*

(a) The Council shall constitute a Legal Aid Committee consisting of 9 members from amongst its members.

(b) The Chairman of the Council shall be the Ex-officio Chairman of the Legal Aid Committee.

(c) The Members of the Legal Aid Committee shall elect one of its Members as Vice-Chairman and the Secretary of the Bar Council of India shall be the Secretary of the Committee.

(d) Term of office of the Legal Aid Committee shall be two years from the date of first meeting of such Committee. Five of them shall form the quorum. Members of the aforesaid Committee shall continue to hold office until the first meeting of the succeeding Committee.

(e) Each member of the Committee shall have one vote and in case of difference of opinion among the members the opinion of the majority shall prevail. In case of equality of votes on any question, the Chairman or the member presiding shall in addition have the right to exercise a casting vote.

(f) The Legal Aid Committee shall function, notwithstanding any vacancy in its body and notwithstanding any defect in the election or continuance of any of its members, and no act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies in the body or any defect in the election or continuance of any of its members.

4. *Functions*

The functions of the Legal Aid Committee shall be of follows :

(a) To formulate policies for implementing the legal aid and advice to be given to the person eligible under these Rules and to see that the policies formulated or prescribed are properly implemented by the State Bar Council Legal Aid Committees and District and Tehsil Legal Aid bodies, and also to exercise effective supervision and control over these bodies.

(b) To arrange Legal Aid workshops for Lawyers and to arrange training programme for Lawyers, para-legal workers and law students, periodically.

(c) To prepare legal aid literature for the purpose of spreading legal consciousness among the poorest sections of the community in different local languages and to arrange for reaching those to the people in the slums, villages and other appropriate places.

(d) To arrange for their protection in all cases of aggression either in hands of Govt. or that of individuals individually or collectively.

(e) To arrange for prosecutions and/or defence in respect of public interest litigations affecting large number of persons.

(f) To take appropriate legal and/or other effective measures to locate and assist bonded labourers.

(g) To arrange for prosecution or defence in all cases of aggressions made or injustice done and/or committed to women both in legal and social forums.

(h) To take all other necessary steps to make the legal aid to the poorer sections of the people effective and meaningful and to see that the same are made available to them at the appropriate time so that they gain confidence in respect of the legal aid programme.

5. *Meetings*

All meetings of the Legal Aid Committee shall be called by the Secretary of the Committee giving at least ten clear days' notice and in case of necessity emergency meeting may be convened at shorter notice according to the necessity on the direction by the Chairman of the Committee.

6. *Functions of the Secretary*

The Secretary of the Committee shall convene all meetings of the Committees according to the directions of the Chairman of the Committee, and shall take all appropriate steps to implement the decisions of the Committee according to the directions of the Chairman.

CHAPTER-III

7. *Funds*

Funds of the Bar Council of India Legal Aid Committee shall comprise :

(a) Funds provided by the Council in its budget annually and credited to the Legal Aid Funds as may be provided by the Bar Council of India, in terms of Section 6(2)(b) of the Advocates Act, 1961, and credited to the fund to be known as "BAR COUNCIL OF INDIA LEGAL AID FUND".

(b) Funds provided annually by the Bar Council of India Trust in its annual budget and credited to the Legal Aid Fund.

(c) Grants that may be provided by the Govt. of India and/or by the Central Govt. Legal Aid Implementation Committee.

(d) Grants that might be paid by different State Govts. and also by the State Bar Councils.

(e) Financial assistance, grants, donations, gifts or benefactions received from corporations, bodies, individuals, charitable institutions, Bar Associations, and other bodies, for the purpose of Legal Aid.

(f) Amounts received by the Legal Aid Committee from any other source whatsoever by way of fees, costs, decretal dues or otherwise on the applications or in connection with Legal aided cases.

(g) All sums recovered from the persons receiving legal aid or on their behalf or from their opponents or from the Court by virtue of any decree or order or agreement or otherwise.

(h) Any amount received by way of interest from investments if any.

CHAPTER-IV

Persons Entitled to have Legal Aid and Advice

8. (a) Legal Aid may be given to a person applying for Legal Aid in the form and manner prescribed for the purpose of asserting, denying or disputing a claim or a charge or a right to any movable or immovable property or for instituting or defending a suit, legal proceedings, civil or criminal rights of any appeal or revision arising therefrom or from any interlocutory orders in such cases, within the jurisdiction of the State Bar Council, and whose financial means and position is, in the opinion of a Legal Aid Committee or the Sub-committee thereof, absolutely insufficient to defray the expenses of the litigation or part thereof or to meet, bear and pay the costs of engaging an advocate, solicitor, pleader or legal practitioner, as the case may be. He must state in his applications that he has not applied to or obtained from any other Legal Aid Committee or any other Authority, Legal Aid in respect of the same cause of action. He shall also state in his application as to whether he applied previously and whether such application was refused by any such Committee or Authority.

(b) An application for Legal Aid may be refused if the applicant or his or her spouse or children has or have approximate annual income, exceeding Rs. 6,000/- per annum and if it appears to the appropriate Legal Aid Committee or the Sub-Committee thereof that the applicant concerned can afford to proceed without legal aid and if it appears to such Committee or sub-committee that having regard to the circumstances of the case, it is not a fit and proper case for legal aid or it is, in its opinion, unreasonable to render legal aid.

(c) In granting necessary advice the legal aid Com- in the opinion of the Legal Aid Committee or appropriate Sub-Committee thereof he or she has a prima facie case in his or her favour and has reasonable grounds for instituting, prosecuting or defending or being a party to a suit, legal proceeding, civil or criminal, establishing or defending his constitutional and/or fundamental rights, appeal or revision arising therefrom.

(d) An applicant may also be refused legal aid unless he gives an undertaking to the effect that he will take all necessary and reasonable steps in time in connection with the proceeding for which legal aid in his favour is to be granted and that on successful completion of the litigation in his favour the grant of legal aid to him he will reimburse the legal aid Committee concerned of all the expenses incurred in his favour or if the Legal Aid Committee, for reasons to be recorded, finds that the Legal Aid granted to him may be withdrawn.

9. (a) Persons having annual income between Rs. 6,000/ to Rs. 12,000/- may be entitled to have legal advice in respect of their cases, from an Advocate on the panel of Advocates prepared for the purpose.

(b) In filing his application for legal advice he must furnish all particulars about his income, and the details of his case, including details of case or cases pending either filed by him or against him.

(c) In granting necessary advice the legal aid Committee concerned may be entitled to realise minimum costs necessary for preparing, typing etc. of necessary papers.

(d) If an applicant wants to have written opinion on a particular point or on a question of law involved in his case he will be entitled to have such opinion only on payment of the prescribed fee.

Applications for Legal Aid and Advice

10. (a) All applications for Legal Aid and Advice shall be made to the Legal Aid Committee or Sub-Committee or Centre as the case may be and contain such particulars as may be specified in the manner prescribed. All proceedings for legal aid shall be presented or held during such hours as may be notified by such committees and to the person or authority appointed in this behalf.

(b) All such applications for Legal Aid or Advice shall be scrutinised by the Legal Aid Committee or sub-committee or Centre as the case may be in accordance with the regulations made therefor by the State Legal Aid Boards before training such or other regulation shall obtain opinion of the District Legal Aid Committee and shall place before State Legal Aid Board for consideration and sanction.

(c) All regulations framed and any rule sought to be amended shall be sent to the Bar Council of India Legal Aid Committee for approval and on such approval being accorded the rule or regulations as the case may be shall become effective within the areas served by the State Legal Aid Board in question.

11. The District Legal Aid Committee, the Legal Aid Sub-Committee or the Legal Aid Centre, as the case may be, each shall set up at least one Bureau for consideration of matters requiring grant of Legal Advice to the persons sanctioned by the Committee or such Sub-Committee appointed for the purpose and it will be its duty to give either oral or written advice in respect of matters placed before the Committee, as expeditiously as possible.

12. It shall be the duty of Legal Aid Committee, Legal Aid Sum-Committee or the Legal Aid Centre to make necessary enquiries in respect of matters set out in the application for grant of legal aid or advice, to scrutinise all papers received and to make suitable recommendations as expeditiously as possible in such manner as may be prescribed and to place the same before the District Legal Aid Committee concerned for its consideration and sanction. Intimation about decisions regarding the grant or refusal of Legal Aid or Advice shall be given to the applicant in writing and in case the aid or advice is proposed to be granted, intimation shall also be given to the advocate selected from the panel of advocate maintained by the Committee and all necessary papers and documents shall be sent to the said Advocate without delay, will necessary instructions.

13. The District Legal Aid Committee, the Legal Aid Sub-Committee and the Legal Aid Centre, wherever it is set up, shall maintain proper registers and appropriate records showing the applications received and orders passed thereon and also maintain proper records of documents received in connection with each case seeking Legal Aid. It shall be the duty of such Committees to maintain proper register of cases, for which Legal Aid and Advice are granted, and progress and result of such cases, and to submit quarterly reports to the State Legal Aid Board.

14. The Legal Aid Committee at all levels shall maintain proper accounts of income and expenditures and maintain proper vouchers for all expenses incurred. All sums received by them shall be deposited in appropriate accounts with scheduled banks and payments shall ordinarily be made by cheques, and bank accounts must tally with the bank accounts maintained.

CHAPTER-VII

15. It shall be the duty of every advocate of at least five-year standing to do at least six cases annually free of his professional charges. No such advocate shall be entitled to refuse to do such cases if so asked for by the Legal Aid Committees.

Explanation

'Doing a case' will mean (1) drafting, filing and hearing of an injunction application, (2) drafting, filing and registration of plaint, (3) drattin gand filing of written statement, (4) drafting, filing and admission of appeal, (5) drafting, filing and admission of a revision application, (6) arguing an appeal, (7) arguing a revision, and go on and each such act by an advocate will constitute 'doing a case'.

NOTE : In allotting the cases which are to be conducted by an advocate free of his professional charges the nature of practice, viz. whether a particular Advocate practices in criminal, civil, taxation or Constitutional Law matters shall be taken into account and the case that may be allotted to him shall ordinarily be at a place where he normally practises, and cases should be allotted to advocates by rotation according to the list which should be maintained in alphabetical order.

16. (a) An advocate who agrees to appear in Legal Aid cases and whose name is included in the panel of Advocates maintained by the State Legal Aid Boards and District Legal Aid Committee shall furnish his correct address and telephone number, if any, to the such Legal Aid Committee and to the Legal Aid Sub-Committee, if any, and also to the parties for whom he appears in a particular case. It will be his duty to inform the Legal Aid Committee concerned his change of address and telephone number, if any.

(b) Appropriate Legal Aid Committees shall prepare two separate panels, one Senior Advocates and the other with names of such Advocates who will both act and plead in appropriate cases which will be referred to them.

17. An advocate who undertakes to render Legal Aid with or without remuneration shall not be entitled to receive any fees from the person in whose favour Legal Aid is being granted or from any one on behalf of such person. He will, however, be entitled to receive such fees or honorarium as may be given to him by the concerned Legal Aid Committee according to the scale prescribed.

18. It shall be the duty of the advocate who will be in charge of a Legal Aid case or proceedings, to keep the person for whom he appears in such cases properly informed about the day-to-day proceedings, to maintain proper registers of such cases and to discharge his duty properly. He shall also keep the Legal Aid Committee or the Sub-Committee as the case may be informed from time to time in such manner as may be prescribed about the progress of the case allotted to him. He will, however, be entitled to receive incidential charges for writing letters and maintenance of registers etc. according to prescribed scale.

19. *Miscellaneous*

The Legal Aid that may be granted shall consist of representation by an Advocate, Pleader or Legal Practitioner and of such assistance as is usually given by them to other litigant in respect of steps preliminary or incidental to any legal proceedings and also for instituting, prosecuting or defending any suit, proceedings, case, appeal or revision therefrom or in respect of any interlocutory application or appeal or revision therefrom in any Court of Law or Tribunal or before any revenue or other Authority. Such aid may be full or partial or on the basis of contributions made by the persons for whom Legal Aid is granted, as may be decided by the appropriate Legal Aid Committee.

20. *Relationship Between Advocate and Client*

The fact that the services of an Advocate, pleader or legal practitioner are given by way of Legal Aid shall not affect the relationship or right of such advocate, Pleader or Legal practitioner between him and his client or any right or privilege arising from such relationship.

21. *Secrecy*

No information furnished for purposes of receiving Legal Aid to the Bar Council, Legal Aid Committee or any Sub-Committee or Legal Aid Centre or to any Officer or person on their behalf in respect of the case of a person seeking Legal Aid shall be disclosed to any person or authority except for the purpose of due performance of the functions connected with the case or cases in question except with the consent of the person applying for or receiving Legal Aid.

22. *Appeal*

In case where applications for Legal Air are refused or granting of further Legal Aid is withdrawn by the Legal Aid Committee and in similar other situations the person aggrieved may appeal, if the decision is of a Sub-Committee or of a Legal Aid Centre to the District Legal Aid Committee and if the decision is of the District Legal Aid Committee to the State Legal Aid Board, within 15 days from the date of the receipt of the communication of such order to him and the District Legal Aid Committee or the State Legal Aid Board shall dispose of such appeals as expeditiously as possible after giving the person concerned a hearing, and the decision of the Appellate Body in that respect shall be final.

23. *Association of Law Students with Legal Aid Scheme*

It shall be within the jurisdiction of the State Legal Aid Board and also of the District Legal Aid Committee to consider whether the services of the final year law students should be associated profitably with the Legal Aid work and if so desired, they shall be entitled to formulate appropriate scheme for associating specified number of qualified students with this Legal Aid Scheme.

24. *Extension of Legal Aid Programmes to Districts and Tehsils*

Before introducing or extending the provisions of this Legal Aid Scheme to any revenue district or part thereof the State Bar Council shall take into consideration the resources it will be in a position to collect either in terms of money or in terms of free services of the Advocates and if and when the Bar Council is of the opinion that a District Legal Aid Committee will be in a position to take up at least 24 cases annually and will be able to render legal advice in similar number of cases annually, only in that event a District Legal Aid Committee in charge of one ore more Revenue Districts shall be set up. The State Bar Council and also the Legal Aid Board shall endeavour to extend the Legal Aid Schemes up to the Taluk/Sub-Divisional Level on the basis of phased programmes and on being sure that scheme once extended to a particular District or part thereof will work properly and efficiently.

25. *Framing of Necessary Rules and Regulations*

Bar Council of India Legal Aid Committee shall frame all necessary rules and regulations, including rules regarding :

(a) Constitution formation, reconsitution, and/or selection of members of different Committees mentioned in these Rules.

(b) Filling up of vacancies in such Committees.

(c) Regarding elections of Chairman, executive Chairman, Secretary, Treasurer and other office bearers wherever and whenever necessary.

(d) Providing for appointment of necessary staff and to fix salary, allowances, honorarium in respect of such members of staff.

(e) Providing for grant of essential costs in maintaining and running the offices, Centres and bureaus by different Legal Aid Committees and bodies at all levels.

(f) Providing for fees or honorarium to be paid to Advocates and other lawyers doing legal aid cases.

(g) Providing for necessary forum for appeals against decisions of legal Aid Bodies refusing to grant or deciding to grant legal aid or Advice as the case may be, in the limited form, and to prescribe period of limitation and speedy decision of such appeals.

(h) Providing for running the legal aid offices and for maintenance of discipline and prescribing duties in respect of staff.

(i) To frame all necessary rules, regulations to carry out the total Legal Air Scheme and programmes for organising Training Camps, Workshops etc. wherever and whenever necessary.

(j) Prescribing necessary forums regarding application for grant of Legal Aid and all other matters connected therewith formus for preferring appeals, registers for maintaining records and accounts and all other forms that may be necessary to run the Legal Aid Schemes envisaged by these rules.

(2) In finalising such rules or in making any amendments thereof State Bar Council Legal Aid Committees shall be consulted and opinion, if any, expressed by such Committees shall be considered.

Schedule of Fees/Honorarium to Advocates/Lawyers appearing in Legal Aid Cases

(Until amended all fees/honorarium to Advocates/lawyers in the panel shall be paid in terms of schedule hereunder).

(1) An Advocate who is required to attend the office of the Legal Aid Committee after Court hours and the work of the Committee and 7.30 P.M. on working days, will be paid such as may be fixed by the Committee from time to time.

(2) An Advocate/lawyer whose name is on the junior panel drawn up by the State Bar Council Legal Aid Committee and who is assigned legal aid brief and who works as an Advocate on Record till the state of admission either in a suit, complaint, revision or appeal shall get Rs. 125/- consolidated.

(3) If a junior advocate in the panel aforesaid works after the admission stage, and looks after the whole proceedings (suit, complaint, revision or appeal) and appears at the final hearing of the case, he will get Rs. 125/- consolidated. But the Chairman of the State Bar Council Legal Aid Committee will be entitled to pay him upto Rs. 250/- if in his opinion, quantum of work put in and the total period taken for the case mentioned hereinabove so requires he will be entitled to pay the Advocate concerned such amount, for reasons to be recorded in writing by him.

(4) An Advocate or Lawyer doing a legal aid case, namely, takes legal advice from the legal-aided person, draws up plaint or petition, files the same in court, he will get Rs. 51.

(5) Senior Advocates whose names are included in the Senior Advocates' panel shall be expected to do the hearing at the fined stages free of professional charges. In special cases, however, the Legal Aid Committee concerned shall be entitled to engage a Senior Advocate on payment of such minimum as may be decided upon by the Committee.

Schemes recommended to the State Legal Aid Boards and District Legal Aid Committees for holding Aid and Advice Camps and Training Camps for Training Advocates, Senior Law Students and Para Legal Workers for Carrying out Legal Aid Programmes.

Apart from performing the important functions of doing legal aid Cases and Courts and Tribunals, and giving advice in Legal matters to the poor litigants, it should be the duty of the State Bar Council Legal Aid Committees and the District Legal Aid Committees to hold Legal Aid and Advice Camps and to organise Legal Aid Training Courses for Advocates and Legal Aid Workers either on their own and/or, when feasible, jointly at suitable places little away from the District, Sub-Divisional or other towns.

Legal Aid Training Course/Workshops for Advocates, Law Students and Para Legal Workers

(1) Legal Aid Training Courses shall be organised at least once in six months by the State Bar Council Legal Aid Committees and also by the District Legal Aid Committees, and whenever possible such courses should be organised jointly by the State Bar Council Legal Aid Committee and one or more District Legal Aid Committees at a suitable place either in or near the State Capitals or in near district towns where assistance of Senior Advocates, Lawyers and Judges will be easily available.

(2) Such courses should be of at least one week's duration and suitable, cheap and, if possible, free food and accommodation for all participants to such courses shall have to be arranged and all necessary arrangements shall be made sufficiently ahead of holding and initiating such courses.

(3) Proper publicities for holding of such courses shall eb given mentioning detailed particulars about the nature of the training courses, subjects to be discussed with dates and timings, names of Senior Advocates, Judges and teachers who will be delivering lectures, and will help in training the participants in such Courses, shall have to be specifically mentioned. Qualifications of participants to such training Course should be specifically stated along with a statement regarding benefits each participants will be able to derive by attending such courses, and printed or at least cyclostyled materials containing all such and other necessary information shall be sent to all the District, Sub-Divisional and Tehsil Bar Associations, presiding officers of different Courts in the areas which are sought to be served by such training Courses, and also to the principals of Law Colleges, seeking their full co-operation.

(4) Some minimum possible charges, as may be decided, may be realised from the trainees attending such Courses for providing them proper detailed programmes, reading materials and other essential papers etc.

(5) All the necessary and connected law, and reference books should be made available to the trainees to enable them to learn and follow properly the lectures and discussions at each day's classes.

(6) Teaching programmes shall be arranged in such a way that the trainees may get time in between two or three lecture courses in a particular day, to have time to consult the appropriate law books and also to discuss with the lecturers or teachers to dispel doubts on any particular matter or points or to understand any particular issue involved.

(7) One or two days during Court hours trainees shall be taken to Courts to show them the Court procedures and materials, both Civil and Criminal, and in High Courts, constitutional and other connected matters. Before taking the trainees to a particular Court they must be briefed, taking prior information from the Court or Courts concerned about the essential details of the cases, that will be heard in such Courts at the time they will be taken there. Prior permission of the Courts concerned should be taken to accommodate the trainees in such Courts.

(8) Subject for such training Courses should be chosen keeping in view the Legal needs of the weaker sections of the people of the areas sought to be served, namely, Civil and Criminal Laws and procedures, pleadings, evidence, Land Laws, Municipal Laws, family laws, Laws regarding marriage, divorce, anti-dowry laws, governing interests of schedule castes and tribes, Constitutional laws connected with the rights and obligations of citizens, etc.

(9) Only such Senior Lawyers, teachers and Judges should be invited to deliver lectures and participate in the discussions whose knowledge of the subjects allotted to each of these are commonly known and whose views would be accepted with respect by the trainees.

(10) Training Camps and all works done and are connected with Legal Aid programme must be kept above all political influences and it must be assured and specifically stated from the beginning that it will have no connection whatsoever with politics,

(11) A regular volunteer team of lawyers committed to pursue the Legal Aid programme shall have to be organised from amongst the members of the Legal profession who will agree to work for the success of the Legal Aid Courses and programmes maintaining strict discipline.

(12) At the conclusion of such training courses appropriate certificates should be given to all trainees showing that they have attended the Training Courses organised by the State Bar Council Legal Aid Committee. A list of all such trainees with their appropriate addresses shall be maintained, and their services shall be utilised profitably for the success of the Legal Aid programmes in future.

APPLICATION FOR GRANT OF LEGAL AID

Before the Legal Aid———————

1. Name of the Applicant :
2. Father/husband's name :
3. Address
   Village
   Post Office
   Police Station
   District :
4. Annual Income of the applicant (from all sources) :
5. Details of properties held in his/her name and in the names of his/her sons and daughters :
6. Total value of such properties :
7. Short statement of grievances or claims—(if necessary in separate sheets of paper) :
8. Name or names of the parties against whom claims/grievances are made with addresses—namely, village, post office, police station, District :
9. Type of legal aid asked for :
10. If in respect of any pending case, details of the case, stage, particulars of the court and case No. etc. to be stated clearly :
11. Whether agreeable to have mediation by Advocates attending camps :
12. Whether he applied for or obtained Legal Aid or Advice from any other Legal Aid authority in respect of the same matter and whether he made application for Legal Aid previously in respect of the same cause of action and whether any such application was refused

I agree to abide by the decision of the Legal Aid Committee of———————in respect of my/our case mentioned in this application and if aid is decided to be given in my case I undertake to give appropriate instruction to the learned Advocate who will deal with my case, and produce all necessary evidence, oral and documentary, in support of my/our case according to the said learned Advocate.

Date:———————

Signature

Notes by the members of the Sub-Committee

1. Whether entitled to have legal aid/advice
2. Whether case has merit and is likely to succeed
3. What type of aid recommended (full or partial)
4. Remarks.

REGISTER OF CASES DEALT WITH BY THE LEGAL AID COMMITTEE

Sl. No.	Name of the applicant	Address	Name of the defendant/ Respondents	Address	Nature of the case	Nature of legal aid given	Result of the case	Date of disposal	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

New Delhi
26-6-87

(S. M. Srivastava)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

New Delhi, the 4th June 1987

No. CA/44/87—It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 29 of the Architects Act, 1972, the Council of Architecture has removed from the Register of Architects of the Council on account of death w.e.f the dates mentioned against their names, the names of the following architects :

Sl. No.	Registration Number	Name and Address	Date of removal
1	2	3	4
1.	CA/75/842	Shri R. D. Sane Prospect Chambers, Annexe, D. N. Road, Bombay-400001.	27-5-1987
2.	CA/75/2465	Shri N. S. Tumboli, Block M, No. 11, Cusrow Baugh, Shahid Bhagat Singh Road, FORT, Bombay-1.	-do-
3.	CA/77/3873	Shri N. N. Malbary, Enginneers Associated Goorishina Building, 12, Sowter Street, Bombay-8.	27-5-1987
4.	CA/75/1766	Shri B. E. Doctor, 'Dhannur' 3rd Floor, Sir P. M. Road, Fort, Bombay-1.	-do-
5.	CA/76/2770	Shri K. C. Mohalla NIL, 51, Malviya Nagar, New Delhi-17.	-do-
6.	CA/75/2286	Shri A. D. Thatte Vishal Building, Near R. M. S. Office, Nasik Road (M. S.)	-do-
7.	CA/75/2010	Shri J. D. Motafram C/o Ruby Records, Calcot House, 8-10-, Tamarind Street, Fort, Bombay-1.	-do-

1	2	3	4
8.	CA/77/3831	Shri J. S. F. Engineers Compound of Vachha, Gandhi Fire Temple, Narayanamurti S. Patkar Road, (Old Hughes Road) Bombay-7.	27-5-1987
9	CA/76/3442	Shri S. S. Reuben, Chief Architect & Town Planner, Siporex India Ltd., Pundhwa, Poona.	-do-
10.	CA/75/197	Shri M. H. Belaugi, 3rd floor, Examiner, Press Building, 35, Balal Street, Fort, Bombay-1.	-do-
11.	CA/75/2100	Shri I. S. Mani, O/o Sr. Architect II (P & T), Sanchar Bhavan, New Delhi.	-do-
12.	CA/75/1927	Shri R. K. Goel, Delhi Urban Art Commission, New Delhi.	-do-
13.	CA/75/468	Shri D. B. Lall Asstt. Professor, Deptt. of Architecture, Goa College of Engineering Formagudi (Ponda), GOA	-do-

The Original Certificate of Registration issued to the persons should forthwith be surrendered to the Registrar of the Council by his legal representative as defined in Clause 11 of Section 2 of the Code of Civil Procedure 1908.

No. CA/46/87.—It is hereby notified that in exercise of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificates of Registation are issued to the undermentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their original Certificates of Registration having been destroyed by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the architect	Registration Number	Date of Issue
1	2	3	4
1.	Shri M. S. Sharma 13, Rajpur Road, Dehradun.	CA/81/6148	25-11-1986
2.	Shri Kersi Sohrab Daroga, Architect & Planner, No. 5 Block 5/a, Koramangala, Bangalore-34.	CA/76/3199	1-1-1987
3.	Shri E. G. Babar, A/7, Satkar Sahniwas, Nath Pai Nagar, Ghatkopar (East), Bombay.	CA/85/9289	22-1-1987
4.	Shri Subhash Chander Garg, Deptt. of Architecture, M. A. C. T., Bhopal,	CA/79/5304	17-2-1987
5.	Shri N. J. Patwardhan 55/14, Erandwana, PUNE.	CA/76/3044	17-2-1987

No. CA/47/87.—It is hereby notified that in exercise o powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificate of Registration are issued to the undermentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their Original Certificates of Regitsration having been lost by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the architect	Registration Number	Date of Issue
1	2	3	4
1.	Shri D. Azad, 389, Bapuji Layout. Vijayanagar, Bangalore-40.	CA/81/6416	11-8-1986
2.	Shri Surendra Vrajlal Gami, 4 Chandra Darshan Flat, Near Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad-9.	CA/75/1175	19-8-1986
3.	Shri Pradipkumar M. Mody, 2, Lokhandwala Building, Behind Surya Hotel, Sayaji Gunj, Baroda 390005	CA/83/7644	26-8-1986
4.	Shri V. R. Mehta, Rasik Nivas, Near Bharti Society, Ellis Bridge, Ahmedabad.	CA/75/1598	10-9-1986
5.	Shri U. P. Parikh, 4, Gnansagar, Near Alira, Dr. Vikram Sarabhai Road, Ahmedabad.	CA/75/1599	10-9-1986
6.	Shri J. M. Benjamin, A/7, Nirman Vihar, DELHI-92.	CA/75/1734	12-9-1986
7.	Shri Solomon J. Benjamin, A/7, Nirman Vihar, DELHI-92.	CA/84/8430	24-9-1986
8.	Shri Amit Kumar Bose, 16/19, Civil Lines, Roorkee-247667.	CA/80/5554	29-9-1986
9.	Shri B. B. Singh Negi, 13, Patel Road, Dehra Dun-248 001 (U.P.)	CA/80/5618	29-9-1986
10.	Shri Harshedar Eruch Carnac Yusuf Mansion, 'B' Block, 1st Floor, Khetwadi Bank Road, Great Road, Bombay-400004.	CA/83/7365	29-9-1986
11.	Shri Rajendra Shamlal Bhatnagar, 17/19, Dalal Street, Wadia Building, 4th Floor, Fort Bombay-400001	CA/75/1067	30-9-1986
12.	Shri Laxman Sadanand Desai, Mapusa Near Mapusa Municipality Building, Mapusa, GOA-403507.	CA/83/7518	30-9-1986

1	2	3	4
13.	Shri P. J. Britto House No. 130, Voddi, Cuncolim, Salcete, Goado.	CA/76/2559	30-9-1986
14.	Shri U. G. Pradhan, Sushila Apartments, 3rd Floor, Daji Ramchandra Charai, THANE.	CA/83/7692	6-10-1986
15.	Shri Kanaiyalal Hirji Rathod Bhajan Bhuvan, Block-4, 1st Floor, 67, Jyotiba Fule Road, Dadar (West), BOMBAY-400014.	CA/75/2083	15-10-1986
16.	Shri Kamalakar Amrit Kale E/308, B. C. M. E. complex PUNE.	CA/76/3365	15-10-1986
17.	Shri Vijay Kumar Ganesh Vadnere D-18/145, M. I. G. Colony, Bandra (East), BOMBAY-400 051	CA/80/5811	13-10-1986
18.	Shri Kuldeep Singh Vilkhu Twin House, A/13, Park Site, Vikhroli, BOMBAY-400 079	CA/80/5765	27-10-1986
19.	Shri Sharad Kumar Lal 140, Flora Avenue, 129, Walnut Creek, California-94595	CA/79/4994	9-12-1986
20.	Shri Deepak Madhok E/96, Greater Kailash-I, New Delhi-48.	CA/76/2541	9-12-1986
21.	Shri Sudhir Jayantilal Vajani Jayantilal Ramji & Co., 9, Mani Bhuvan, Pathak Wadi, BOMBAY-400 002.	CA/84/8231	23-12-1986
22.	Shri Charudatta P. Pandit, 2/1, Dalwai Chaool, Ajit Glass, S. V. Road, Jogeswari, BOMBAY	CA/83/7925	24-12-1986
23.	Shri K. K. Sharma LP/44-D, Pitampura, DELHI.	CA/77/4161	2-1-1987
24.	Shri Abhijit Ray, D/81, East of Kailash, NEW DELHI.	CA/76/2369	7-1-1987
25.	Shri S. V. Walvalkar, 303, Yashodhara, 3rd Floor, Yashodhara Film City, Near High Way, Goregaon (East), BOMBAY-63.	CA/81/6497	19-1-1987
26.	Shri Subodh Kumar Agrawal, 795, Bellflower Building, Apt 30, Long Beach, CA 90815, (U.S.A.)	CA/78/4367	19-1-1987
27.	Shri Om Prakash Gupta, B/7, Satyawati Nagar DELHI-52.	CA/76/2444	28-1-1987
28.	Shri R.G. Lakule 1059/B, Pethbag, Near Panjal Pole, SANGLI	CA/85/8941	2-2-1987
29.	Mrs. Raka Chakravarty, H/1501, Chittaranjan Park, NEW DELHI-110019.	CA/79/4874	5-2-1987
30.	Shri Vijay Kumar, L/10, Kailash Colony, NEW DELHI-48.	CA/79/5288	10-2-1987
31.	Smt. K. N. Rajalakshmi, 593/3, 11th Main Road, 13th Cross, Malleswarm BANGALORE-560003.	CA/85/9322	13-2-1987
32.	Shri G. V. Dalvi, 30, 1st Bhatwadi, Renuka Niwas, BOMBAY-4.	CA/75/1968	16-2-1987
33.	Y. M. SAXENA Kamal Talkies Building, BAREILLY	CA/77/4211	17-2-1987
34.	Shri J. P. Vohra, "Parthiv" Near Harihar Society, Housing Board West, 2/3, Main Road, RAJKOT.	CA/79/1315	16-2-1987
35.	Shri A. V. Shah A/5, Mahavir Jyot, Cross Agra Road, Opp. :Gabriel, Mulund (West), BOMBAY-80	CA/86/9796	18-2-1987
36.	Shri J. R. Aria, Sunama House, 2nd Floor, 140, Cumballa Hill, BOMBAY.	CA/76/2659	19-2-1987
37.	Shri K. H. Desai 5/6, Veersons Villa, 1st Floor, 75, Ranade Road, BOMBAY-78.	CA/76/2803	19-2-1987
38.	Shri B. J. Perianayagam, 31, Dooming Street, San Thome, MADRAS-4.	CA/75/1316	19-2-1987
39.	Shri S. D. Mehta, "Girdhar Nivas", Opp. First Pasta Lane, Colaba, BOMBAY-5.	CA/75/1671	23-2-1987
40.	Shri S. K. Arolkar, 43, Rafi Mansion, 16th and 28th Road, Junction, Opp. Guru Nanak Park, T. P. S. 3, Bandra, BOMBAY.	CA/82/6814	27-2-1987
41.	Shri M. Z. Mohiuddin New Malakpet, House No. 191' 'A' Class Situated at New Malakpet Locality, Hyderabad-500036.	CA/84/8713	3-3-1987

1	2	3	4
42.	Shri S G. Bapaye New Building Shastri Hall, Jaojee Dadaji Marg, Nana Chowk, BOMBAY-400007	CA/75/769	5-3-1987
43.	Shri B B. Joshi 146, Opposite Gole Bagh, AMRITSAR	CA/75/1535	9-3-1987
44.	Shri Surinder Mohan Soni, A/240, New Friends Colony, NEW DELHI	CA/75/2499	9 3-1987
45.	Shri Deoki Nandan Sharma, 15/266, Chhilli Int Road, AGRA	CA/76/2771	9-3-1987
46.	Shri V K. Kuppa Raj, 58, Tirumalai Pillai Road, T. Nagar, MADRAS-17	CA/75/91	18-3-1987
47.	Shri J R Chokshi, Shyam kutir, Near Khadryata Colony, Netaji Road, Ellisbridge, AHMEDABAD-6	CA/75/909	18-3-1987
48.	Shri M. K. Delkar, 10, Leena House, Lt Prakash Kotnis Marg, Mahim, BOMBAY	CA/81/6593	23-3-1987
49.	Shri Gopal Shinde, Shivaji Sagar, LATUR	CA/83/7897	2-3-1987
50.	Shri Vivek Achyut Kulkarni, Kshity 4-A/9, Karve Road, PUNE-411004	CA/75/575	23-3-1987
51.	Shri Sharad Balasaheb Jaglale, 348, E, Station Road KOLHAPUR	CA/75/719	25-3-1987
52.	Shri Z. S. Kotwal, 159, 29th Road, T P. S. III, Bandra, BOMBAY-50.	A/75/2292	9-3-1987
53.	Shri C. P. Sabharwal, 54, Navjivan Vihar, NEW DELHI.	CA/76/2697	27 3-1987
54.	Shri V. K. Bhonsale, 204/E, Raj Building, Near Hotel Pearl, KOLHAPUR.	CA/76/3051	30-3-1987
55.	Shri Yetinder Mathur, 764, Sector 8/B, CHANDIGARH	CA/76/3106	30-3-1987
56.	Shri Pravin Nilakanth Jadhav, G/50, Best Colony, Dr S S Rao Road, Parel, BOMBAY 400012	CA/79/5283	31-3-1987
57.	Shri Sanjiv Lal, C/4, D. D. A Flats, Bhim Nagar, Hauz Khas, NEW DELHI-110016	CA/82/6803	3-4-1987
58.	Shri Major Singh Badwal, 27 Saini Enclave, I. P. Extension-II, Vikas Marg, DELHI-110092	CA/82/6908	3-4-1987
59.	Shri Ravinder Dinanath Sethi 102, Mangal Smruti, 14th/X-1st Road Jn., Khar (West), BOMBAY-52	CA/75/1023	14-4-1987
60.	Shri J N Upare Sena Mandir Road, SANGLI-416416	CA/75/1646	14-4-1987
61.	Shri D. P. Rangnekar, B/17, Suyesh, Near Amar Hind Mandal, Gokhale Road (North) Dadar, BOMBAY-400028	CA/76/1852	30-3-1987
62.	Shri Virendra Kumar 31, Church Road, Shanti Nagar, Bangalore	CA/79/3971	29-4-1987
63.	Shri R. H. Saluja, CHOPDA	CA/85/9381	29-4-1987
64.	Shri Parveen Kumar, 1127, Sector 8 /C, CHANDIGARH	CA/80/5709	30-4-1987
65.	Shri Upadhyay Raju, Asstt Planner, National Urban Development Corporation, PB-129, Thimpu Bhutan, C/o Sector VI, NOIDA (U.P)	CA/84/7990	6-5-1987
66.	Shri Suhas Manohar Jukar, Mahesh Sadan, 2nd Floor, Kisan Nagar No. 8, Road 16, Wagle Estate, THANE-400604	CA/85/9061	15-5-1987
67.	Shri K. K. Kale Principal, College of Engineering and Technology, Shivaji Park, AKOLA-444001	CA/75/841	21-5-1987
68.	Shri Baldev Babbar, 24/37, Old Rajinder Nagar, NEW DELHI-110060	CA/75/1082	25-5-1987
69.	Shri M G Deobhakta, M/s Sane & Paymaster Prospect Chambers Annexe Dr D N Road, Fort, BOMBAY-.	CA/75/541	27-5-1987
70.	Smt. Meera M. Deobhakta, M/s. Sane & Paymaster, Prospect Chambers Annexe, Dr. D. N. Road, Fort, BOMBAY.	CA/76/2610	27-5-1987
71.	Shri Subhash Chimbolkar, Pushkaraj 31, Mukund Nagar PUNE-37.	CA/75/708	1-6-1987
72.	Shri Mukul Singh, Flat No. 5, Arts College Campus, Tagore Marg, LUCKNOW.	CA/78/4753	2-6-1987
73.	Shri P. A. Acharekar, 516/E, Opp. S. T. Stand KOLHAPUR.	CA/75/1757	-do-

1	2	3	4
74.	Shri S. G. Borse, M/s. Space Planners, 313, Hiran Mansion, Jolah Road, NASHIK	CA/79/5267	2-6-87
75.	Shri P. R. Dharia, 8, Nand Bhuvan, 61, Baba Gemn Road, (Near Hamunam Gally), Kolabadevi, BOMBAY-22.	CA/79/5376	-do-
76.	Smt. Preeti Ghildyal, C/o. S. S. Raturi, 153, Vasant Vihar, Opp. F. R. I. Gate, DEHRADUN (U.P.)	CA/83/7722	2-6-17

K. C. NARAYANA IYENGAR
Registrar.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987.